वेबसाईट **www.govtpressmp.nic.in** से
डाउन लोड किया जा सकता है.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] **भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2016-ज्येष्ठ 13, शके 1938**

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सूचित हो कि मेरा वास्तविक व सही नाम शिव चौकसे पिता श्री हीरालाल चौकसे है व मेरा घरेलू नाम प्रेमप्रकाश चौकसे है. इस प्रकार उक्त दोनों नाम मेरे ही होकर एक ही व्यक्ति के नाम हैं व अब मैं, भविष्य में अपने वास्तविक व सही नाम शिव चौकसे पिता श्री हीरालाल चौकसे के नाम से जाना-पहचाना व सम्बोधित किया जाऊंगा.

पुराना नाम :

(प्रेमप्रकाश चौकसे)

नया नाम :

(शिव चौकसे)

पिता श्री हीरालाल चौकसे,
पता—1133, न्यू गौरी नगर, इन्दौर.

(104-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरा नाम नेहा मीना पुत्री श्री भँवर सिंह मीना था, शादी के पश्चात् मेरा नाम नेहा निलय पति श्री निलय बुनकर हो गया है. भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जाये.

पुराना नाम :

(नेहा मीना)

नया नाम :

(नेहा निलय)

पता—C/o हंसा बुनकर,
एल. आई.सी. ऑफिसर्स क्वार्टर्स, बी-4, जीवन आनन्द,
गौतम नगर, भोपाल 462023 (म.प्र.).

(109-बी.)

नाम परिवर्तन

शादी से पहले मेरे सभी शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम कु. नीलम लालवानी पिता श्री अशोक लालवानी था और शादी के बाद मेरा नाम श्रीमती चंचल भागवानी पति श्री योगेश भागवानी हो गया है. अत: भविष्य में मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(कु. नीलम लालवानी)

नया नाम :

(चंचल भागवानी)

पता—ए-172, (324, 325) शास्त्री ब्रिज,
रामलाल मंदिर के पास, नेपियर टाउन,
जबलपुर (म.प्र.) 482001.

(110-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

मैं, शिशिर मित्तल, निवासी 385, नव आदर्श कॉलोनी, एम. आर. 4, रोड, गजानन सोसायटी गेट के सामने, जबलपुर घोषणा करता हूं कि मेरा पुराना नाम शिशिर गुप्ता था. अब से मेरा नाम शिशिर मित्तल हो गया है. भविष्य में मुझे शिशिर मित्तल के नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम : नया नाम :

(शिशिर गुप्ता) **(शिशिर मित्तल)**

(111-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित करता हूं कि मेरे पुत्र शिवकुमार लोधी की दसवीं की अंकसूची में मेरा नाम नथन दर्ज है एवं बारहवीं की अंकसूची में मेरा नाम नथन लोधी दर्ज है एवं मेरे पुत्र के अन्य शैक्षणिक दस्तावेजों में मेरा नाम अलग-अलग प्रकार से दर्ज है, जबकि मेरा वास्तविक नाम नथनसिंह लोधी है.

अत: भविष्य में मुझे सभी सरकारी एवं गैर सरकारी दस्तावेजों में नथनसिंह लोधी के नाम जाना, पहचाना, पढ़ा व लिखा जावे.

अत: इस विज्ञप्ति द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है.

पुराना नाम : नया नाम :

(नथन/नथन लोधी) **(नथनसिंह लोधी)**

पुत्र मोतीलाल लोधी,
निवासी-ईसागढ़,
पता—नई तहसील के पास, ईसागढ़,
जिला अशोकनगर (म.प्र.).

(112-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा नाम मार्कशीट एवं अन्य दस्तावेजों में राहुल जोहरी अंकित है. यह कि मैं, शथपकर्ता वर्तमान में राहुल सक्सेना पुत्र श्री राघवेन्द्र कुमार सक्सेना लिखने लगा हूं. मैंने कर सलाहकार संघ, ग्वालियर में राहुल सक्सेना, एडवोकेट के नाम से पंजीयन कराया है. मैं, राहुल सक्सेना एडवोकेट के नाम से वकालत व्यवसाय करता हूं. उपरोक्त दोनों नाम मुझ शपथकर्ता अर्थात् एक ही व्यक्ति के हैं.

पुराना नाम : नया नाम :

(राहुल जोहरी) **(राहुल सक्सेना)**

(एडवोकेट)
एफ-21, देशपाण्डे कॉम्पलेक्स,
हुजरात पुल, लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(113-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, मंजू धवन (Manju Dhawan) पत्नि कुलदीप चन्द्र धवन, निवासी-249, बी-सेक्टर, शाहपुरा, भोपाल, म. प्र. यह कि मेरे पति कुलदीप चन्द्र धवन के सर्विस रिकार्ड, पी.पी.ओ. में मेरा नाम मंजुला धवन (Manjula Dhawan) दर्ज है एवं प्रशासनिक दस्तावेजों में मंजू धवन (Manju Dhawan) है. यह कि मैं अपने पति के सर्विस रिकार्ड पी.पी.ओ. में अपना नाम मंजू धवन (Manju Dhawan) दर्ज कराना चाहती हूं.

अत: मेरे अन्य किसी दस्तावेज में भी यदि मंजुला धवन (Manjula Dhawan) नाम दर्ज हो, तो उसके स्थान पर मंजू धवन (Manju Dhawan) पढ़ा एवं लिखा जाये.

पुराना नाम : नया नाम :

(मंजुला धवन) **(मंजू धवन)**

पत्नि श्री कुलदीप चन्द्र धवन,
निवासी—249, बी-सेक्टर, शाहपुरा,
भोपाल (म.प्र.).

(131-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी पक्षकार शोभा पिता हरलालजी वाल्मिकी का विवाह बाबुलाल वाल्मिकी समाज से हुआ था. शोभा के पति बाबुलाल का स्वर्गवास सन् 1997 में हो जाने के उपरांत शोभा के द्वारा मुस्लिम धर्म को अपनाते हुए शाकीर पिता हबीब मुसलमान, निवासी बावडी बस स्टेंड, हरिजन कॉलोनी, 10 क्वार्टर बोहरा बाखल, खरगोन के साथ निकाह सन् 1998 में कर लिया है तथा वर्तमान में शोभा ने अपना नाम सलमा बी रख लिया होकर अब शोभा सलमाबी पति शाकिर मुसलमान के नाम से जानी जाती है.

शोभा का ही परिवर्तित नाम सलमाबी पति शाकीर है. सर्व-साधारण को सूचित होवें.

बलवंतसिंह तोमर,
(एडवोकेट)
खरगोन (म.प्र.).

(114-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैसर्स कर्म ग्रुप एक भागीदारी फर्म है उक्त भागीदारी फर्म में हम 1. श्री विपिन अग्रवाल, 2. श्रीमती रिका जैन एवं 3. श्रीमती उषा जैन तीन भागीदार थे.

जिसमें से दिनांक 09-02-2016 से 1. श्रीमती रिका जैन एवं 2. श्रीमती उषा जैन दोनों भागीदार अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गई हैं एवं इसी दिनांक को श्रीमती रूची अग्रवाल पति श्री विपिन अग्रवाल फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुई हैं. अब इस फर्म का संचालन श्री विपिन अग्रवाल एवं श्रीमती रूची अग्रवाल कर रहे हैं एवं अब हम दोनों भागीदारों ने आपसी सहमती से फर्म का नया पता-101, ब्रजेश्वरी टॉवर, प्रकाश नगर चौराहा, नवलखा इन्दौर कर लिया है.

वास्ते—मेसर्स कर्म ग्रुप,
विपिन अग्रवाल,
(भागीदार).

(115-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को आज दिनांक को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स इलेक्ट्रिक एम्पोरियम में दिनांक 29-06-1995 को पंजीबद्ध की गई थी. जिसमें निम्न भागीदार थे- (1) विनोद कुमार जैन पिता स्व. श्री जोरावरमल जैन, (2) श्रीमती किरण जैन पति श्री विनोद कुमार जैन, यहकि दिनांक 01-04-2014 को निम्न को भागीदार बनाया गया, (3) विक्रांत जैन पिता श्री विनोद कुमार जैन इस तरह उक्त फर्म में 01 अप्रैल, 2014 से हालमुकाम में तीन भागीदार हैं- (1) विनोद कुमार जैन पिता स्व. श्री जोरावरमल जैन, (2) श्रीमती किरण जैन पति श्री विनोद कुमार जैन, (3) विक्रांत जैन पिता श्री विनोद कुमार जैन. अतः उपरोक्त में यदि किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, वित्तीय संस्था, सरकारी-गैर सरकारी संस्था या अन्य किसी को भी कोई आपत्ति हो, तो इस सूचना के प्रकाशन के सात दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर हमें सूचित करें, उपरोक्त समयावधि के बाद कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी.

शिशिर नेमा,
(अधिवक्ता)
आशीर्वाद मार्केट, जबलपुर.

(116-बी.)

सार्वजनिक सूचना

1. सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैसर्स सुराणा ट्रेडर्स, 11/2, रानीपुरा इन्दौर, एक भागीदारी फर्म है जिसमें 1. सुनील सुराणा पिता स्व. श्री विमलचंद सुराणा, 2. हंसा देवी सुराणा पति श्री पूण्यपाल सुराणा भागीदार हैं, जिसमें दिनांक 05-04-1990 को विमलचंद तेजकुमार सुराणा HUF कर्ता पूण्यपाल सुराणा नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए.
2. मेसर्स सुराणा ट्रेडर्स, 11/2, रानीपुरा, इन्दौर भागीदारी फर्म में दिनांक 01-06-2005 को श्री अनिल सुराणा पिता स्व. श्री विमलचंद सुराणा नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए.
3. मेसर्स सुराणा ट्रेडर्स, 11/2, रानीपुरा, इन्दौर जिसमें से दिनांक 01-09-2005 को- 1. सुनील सुराणा पिता स्व. श्री विमलचंद सुराणा, 2. हंसा देवी सुराणा पति श्री पूण्यपाल सुराणा एवं 3. विमलचंद तेजकुमार सुराणा HUF कर्ता पूण्यपाल सुराणा तीनों भागीदार अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक को सौरभ सुराणा पिता श्री अनिल सुराणा फर्म में नये भागीदार के रूप में सम्मिलित हुए हैं. अब इस फर्म का संचालन श्री अनिल सुराणा एवं श्री सौरभ सुराणा कर रहे हैं. जो आमजन एवं सर्वजन को सूचित हो.

वास्ते—मेसर्स सुराणा ट्रेडर्स,
अनिल सुराणा,
(भागीदार).

(116 A-बी.)

सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि हमारी फर्म मेसर्स सुन्दरम इंडस्ट्रीज 01, प्रतापगंज सेंधवा, जिला बड़वानी (म.प्र.) पर स्थित है. जिसमें जिनिंग एवं प्रेसिंग ऑइल मिल स्पिनिंग, सी एंड फ एजेंट, कमीशन एजेंट का कार्य किया जाता है. जिसका पंजीयन क्रमांक 03/31/01/00106/07, सन् 2007-08, दिनांक 27 सितम्बर, 2007 से वैध है. जिसमें पूर्व में सात पार्टनर (1) श्री श्रीनिवास S/o बंसीधर अग्रवाल, (2) श्री संजय S/o श्रीनिवास अग्रवाल, (3) श्री हर्ष वर्धन S/o दीपक कुमार अग्रवाल, (4) श्री यश वर्धन S/o सुनील कुमार अग्रवाल, (5) श्री जय वर्धन S/o वल्लभदास अग्रवाल, (6) श्रीमती सुनितदेवी W/oदीपक कुमार अग्रवाल, (7) श्री मोहित S/o संजय अग्रवाल कार्य संचालित कर रहे थे. जिसमें से श्री श्रीनिवास जी अग्रवाल का स्वर्गवास दिनांक 26-12-2015 को हो गया है. इसलिए उन्हें दिनांक 26-12-2015 से इस फर्म की भागीदारी से निवृत माना जाये.

किसी को इस सन्दर्भ में कोई आपत्ति हो, तो 15 दिनों में सूचित करें.

Sundram Industries,
संजय अग्रवाल,
(Partner).

(117-बी.)

NOTICE

This is notifying that: the following changes have taken place in the constitution of the form M/s Maa Narmada Construction, Jabalpur (Firm Reg. No. 04/04/150/09 of 2008-09) I shri J.P.S. Ranawat S/o S.S. Ranawat R/o 568/B, Dhanwantri Nagar, Jabalpur has ceased to be partner *w.e.f.* 27-04-2016, 2. Shri Kushal Yadav, S/o Hira Lal Yadav, R/o Gopalpur Lamhetaghat JBP has ceased to be partner *w.e.f.* 27-04-2016, 2. Shri Ranjeet Kumar Vishwakarma S/o Ayoudhya Prasad Vishwaakarma, R/o Jayprakas Ward, Main Road, Panagar Jabalpur (M.P.) has joined as partner *w.e.f.* 27-04-2016.

SANTOSH TIWARI
S/o Ramji Tiwari,
(Partner)
Subhash Nagar, Garha Jabalpur.

(118-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को आज दिनांक को सूचित किया जाता है कि, फर्म मैसर्स रविशंकर जयसवाल पंजीयन क्र. 04/14/01/00146/11, वर्ष 2011-12 में दिनांक 22-07-2011 को पंजीबद्ध की गई थी. जिसमें निम्न भागीदार थे. (1) रविशंकर जयसवाल पिता स्व. श्री एम. पी. जयसवाल, (2) अर्चना जयसवाल पति श्री रविशंकर जयसवाल यह कि दिनांक 01-04-2012 को निम्न को भागीदार बनाया गया, (3) श्रीमती माया जयसवाल पति श्री किशोर जयसवाल, (4) अविरल जयसवाल पिता श्री रविशंकर जयसवाल 01-04-2013 से श्रीमती माया जयसवाल जी भागीदारी समाप्त हो गई थी. इस तरह उक्त फर्म में 01-04-2013 से हल्मुकम में निम्न तीन भागीदार हैं. (1) रविशंकर जयसवाल पिता स्व. श्री एम. पी. जयसवाल, (2) अर्चना जयसवाल पति श्री रविशंकर जयसवाल, (3) अविरल जयसवाल पिता श्री रविशंकर जयसवाल. अत: उपरोक्त में यदि किसी व्यक्ति, फर्म, कम्पनी, वित्तीय संस्था, सरकारी, गैर-सरकारी संस्था या अन्य किसी को भी कोई आपत्ति हो, तो इस सूचना के प्रकाशन के सात दिन के भीतर अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर हमें सूचित करें, उपरोक्त समयावधि के बाद कोई भी आपत्ति मान्य नहीं होगी.

शिशिर नेमा,
(अधिवक्ता)
आशीर्वाद मार्केट, जबलपुर.

(119-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैसर्स श्री बंशीवाले स्टोन क्रेशर, 38-दुर्गापुरी, गदईपुरा, ग्वालियर (म.प्र.) जिसका पंजीयन क्रमांक 02/42/01/00202/11, दिनांक 14-11-2011 में पंजीकृत है. जिसमें दिनांक 30-12-2015 को श्री दिवाकर सिंह पुत्र श्री रामबरन सिंह, निवासी-24, महावीर कॉलोनी, वीराना हाउस, मुरार, ग्वालियर अपनी-अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं दिनांक 16-05-2016 को नवीन भागीदार के रूप में श्री गोविन्द सिंह सिसोदिया पुत्र श्री सीताराम सिसोदिया, निवासी एम. एच. चौराहा, थर्ड लनसर रोड, ई. एम. ई. वर्कशॉप के पीछे, मुरार, ग्वालियर फर्म सम्मिलित हो गये हैं. सर्वजन एवं आमजन सूचित हों.

फर्म-श्री बंशीवाले स्टोन क्रेशर,
राकेश,
(भागीदार)
38, दुर्गापुरी गदईपुरा, ग्वालियर.

(120-बी.)

जाहिर सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, प्रार्थी की फर्म मैसर्स मिट्ठन लाल सुरेश कुमार, 42, जीवाजीगंज, मुरैना मध्यप्रदेश ने 12-02-2016 को अपनी साझेदारी फर्म में संशोधन कर पक्षकार क्रमांक 1 श्री विश्वम्भर दयाल पुत्र श्री मिट्ठन लाल, आयु 77 वर्ष, निवासी-दाल बाजार, लश्कर, ग्वालियर जिनका आकस्मिक निधन दिनांक 11-02-2015 को हो जाने के कारण फर्म में उनके स्थान पर उनकी पुत्र वधु पक्षकार क्र. 1 श्रीमति साधना अग्रवाल पत्नी श्री राजेन्द्र अग्रवाल, आयु 51 वर्ष, निवासी गीता कॉलोनी, दाल बाजार, ग्वालियर जो कि नवीन पक्षकारों के रूप में शामिल हुए हैं. फर्म में स्व. श्री विश्वम्भर दयाल के स्थान पर उनकी पुत्रवधु श्रीमति साधना अग्रवाल ही नफा-नुकसान वहन करेंगी तथा भविष्य में फर्म से संबंधित किसी भी प्रकार के लेन-देन या अन्य कार्यों में अपने शेयर के मुताविक शेष साझेदार जिम्मेदार होंगे और वे फर्म के चालू रहने वाले अन्य साझेदार को स्वीकार है.

For-Mitthanlal Suresh kumar
सुरेश कुमार,
(Partner).

(121-बी.)

NOTICE

Change Details: One Partner Mr. Yogesh Bansal S/o Shri. Natthi Lal Bansal has been retired From 31-03-2016 and remaining two partner carry on the buniess Namely. Mr. Sanjay Bansal Huf Karta and Smt. Urmila Bansal W/o Shri Natthi lal Bansal.

For—M/s N.B.Distributor
SANJAY BANSAL (HUF)
(Partner).
Add: Infront of Chandak, Hospital,
Hospital Road, Gwalior 474009 (M.P.).

(122-B.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैसर्स शिव शक्ति एसोसिएट्स नियर साउथ केन्द्रीय विद्यालय, तहसील गौपड़ बनास, जिला सीधी मध्यप्रदेश जिसका पंजीयन क्रमांक 0043/1314, दिनांक 30-05-2013 है. जिसमें दिनांक 12-10-2015 को भागीदार जगदीश सिंह पुत्र श्री लक्खू सिंह, निवासी रूद्र कॉलोनी, होशंगाबाद मध्यप्रदेश फर्म में नवीन भागीदार के रूप में सम्मिलित हो गए हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

फर्म-मैसर्स शिव शक्ति एसोसिएट्स,
प्रभाकर सिंह,
(भागीदार)
तहसील गौपड़ बनास, जिला सीधी (म.प्र.).

(123-बी.)

जाहिर सूचना

(भारतीय भागीदारी अधिनियम की धारा-72 के अधीन)

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मेसर्स बी. एम. मोदी एण्ड संस, धामनोद, पता-318, सिल्वर संचोरा केस्टल 07, आर. एन. टी. मार्ग, इन्दौर मध्यप्रदेश जो कि फर्म एवं संस्थायें कार्यालय इन्दौर में पंजीकृत भागीदारी फर्म है. जिसका पंजीयन क्रमांक 03/27/03/00184/12, दिनांक 03-10-2012 है. उक्त फर्म में 3 भागीदार 1. श्री गिरधारी लाल पिता विठ्ठल दास जी मोदी, 2. श्री नीरज पिता गिरधारी लाल जी मोदी, 3. सुनील मोदी पिता गिरधारी लाल मोदी जिनमें से सुनील कुमार मोदी का दुखद निधन दिनांक 25-11-2015 हो गया है. निधन पश्चात् उक्त फर्म में उनके स्थान पर उनके वारिस के रूप में उनके पुत्र श्री अमन मोदी ने भागीदार के रूप में दिनांक 25-11-2015 को अन्य भागीदारों की सहमति से प्रवेश किया. अत: दिनांक 25-11-2015 से उक्त फर्म में भागीदार के रूप में श्री गिरधारी मोदी, श्री नीरज मोदी, श्री अमन मोदी कार्यशील भागीदार हैं. यदि इसमें किसी व्यक्ति संस्था को कोई आपत्ति हो, तो वह इस सूचना के प्रकाशन दिनांक से 7 दिवस में फर्म एवं संस्था में आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

For-V.M. Modi & Sons,
नीरज मोदी,
(Partner)
Dhamnod.

(124-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, M/s S.S. Traders गली नं. 10, राजेन्द्र नगर, सतना (म.प्र.) में स्थित है और दिनांक 09-04-2016 को इस फर्म से श्री सुभाष गौतम रिटायर हो गये हैं.

सर्व-साधारण में आम-जन सूचित हों.

द्वारा —
फर्म-M/s S.S. Traders,
मेघा गर्ग,
(पार्टनर)
गली नं. 10, राजेन्द्र नगर, सतना (म.प्र.).

(125-बी.)

आम सूचना

हमारी पार्टनरशिप फर्म व्हाइट टाइगर एसोसिएट्स, रीवा (म.प्र.) में तीन पार्टनरों में से अरूण सिंह गहरवार पिता स्व. श्री अवधराज सिंह, निवासी अवध निवास ढेकहा, रीवा एवं उपेन्द्र सिंह पिता श्री राघवेन्द्र सिंह, निवासी शान्ती विलास, कॉलोनी, अमवा रोड, रीवा, दिनांक 01-04-2016 से फर्म से अलग हो गये हैं एवं इसी दिनांक से मेजर आनन्द कुमार सिंह पिता श्री शिवराम सिंह और श्रीमती रचना सिंह पत्नी मेजर आनन्द कुमार सिंह दोनों, निवासी-नारेन्द्र नगर, रीवा नये पार्टनर के रूप में शामिल हो रहे हैं. अपनी इच्छा से सर्व-साधारण की सूचना के लिये विज्ञप्ति प्रसारित की जा रही है.

द्वारा—
फर्म-व्हाइट टाइगर एसोसिएट्स,
प्रभा सिंह,
(पार्टनर)
रीवा (म.प्र.).

(126-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, मैसर्स देवी इन्फ्राटेक, पता-17/347, नारेन्द्र नगर, रीवा (म.प्र.) फर्म पंजीयन क्र. 05/22/08/00093/10, है. यह कि फर्म की द्वितीय भागीदारी विलेखानुसार पार्टनर नं. 02 श्रीमती नीलू मिश्रा पत्नी श्री आशुतोष मिश्रा, निवासी 17/347, नारेन्द्र नगर, रीवा (म.प्र.) एवं पार्टनर नं. 03 श्रीमती सोनल मिश्रा पति श्री सुधीर कुमार मिश्रा, निवासी 17/347, नारेन्द्र नगर, रीवा (म.प्र.) दिनांक 29-07-2015 से नये भागीदार के रूप में शामिल हो गये हैं एवं प्रथम भागीदारी विलेख अनुसार पार्टनर नं. 01 श्री कृष्णपति त्रिपाठी पिता श्री कमलापति त्रिपाठी, निवासी-17/347, नारेन्द्र नगर, रीवा (म.प्र.) एवं पार्टनर नं. 02 बृजेश कुमार तिवारी पिता श्री राजेन्द्र प्रसाद तिवारी, निवासी-17/347, नारेन्द्र नगर, रीवा (म.प्र.) अपनी स्वेच्छा से दिनांक 29-07-2015 से फर्म की भागीदारी से पृथक् हो गये हैं. अतः जिस किसी को भागीदारी विलेख के संबंध में आपत्ति हो, तो वह प्रकाशन दिनांक के सात दिवस के अन्दर आपत्ति दर्ज करे.

द्वारा—
M/s Devi Infratech,
सुधीर कुमार मिश्र,
(पार्टनर)
नारेन्द्र नगर, रीवा (म.प्र.).

(127-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि, फर्म मै. पूजा इन्टरप्राइजेज मेला के सामने जमुना नगर, भिण्ड में निम्न व्यक्तियों को पार्टनर (साझेदार) किया जा रहा है. जिसमें अनीता सिंह पत्नी रामप्रताप सिंह, निवासी लहार रोड, भिण्ड, पूजा दीक्षित पुत्री उमेश दीक्षित, निवासी जमुना नगर, भिण्ड, पुनीत दीक्षित पुत्र उमेश दीक्षित, निवासी जमुना नगर, भिण्ड, नरेन्द्र तिवारी पुत्र स्व. श्री रामप्रकाश तिवारी, निवासी जमरेही प्रथम, माधौगढ़ जालौन, उ.प्र. रमाकान्त तिवारी पुत्र स्व. श्री जागेश्वर दयाल तिवारी, निवासी बहादुरपुर माधौगढ़, जालौन उ.प्र., आशा भारती पत्नी अवधेश त्यागी, निवासी मार्केटिंग सोसायटी के पीछे गल्ला मण्डी, भिण्ड मध्यप्रदेश को दिनांक 01-04-2015 से सम्मिलित कर लिया गया है. अगर किसी भी फर्म या व्यक्ति को इस सम्बन्ध में कोई भी आपत्ति हो तो 15 दिवस के भीतर फर्म के कार्यालय मेला के सामने जमुना नगर, भिण्ड में दर्ज कराऐं.

मै. पूजा इन्टरप्राइजेज,
उमेश दीक्षित,
(पार्टनर)
भिण्ड (म.प्र.).

(128-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मै. ओम कंस्ट्रक्शन कम्पनी के साझेदारों में दिनांक 01-04-2016 को निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं .—

साझेदार-पूर्व में फर्म में क्रमशः निम्न 4 साझेदार थे:—

- श्री शरदचंद सिंघल पुत्र श्री रामेश्वर दयाल सिंघल, आयु 42 वर्ष, निवासी-79, मयूर मार्केट, ठाठीपुर मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).
- श्री पंकज राय बंसल पुत्र श्री केशव राय बंसल, आयु 40 वर्ष, निवासी-एकता कॉलोनी, धर्मकांटा के पास, ए. बी. रोड, लक्ष्मीगंज, ग्वालियर (म.प्र.).
- श्री कौशल गुप्ता पुत्र श्री एस. एस. गुप्ता, आयु 44 वर्ष, निवासी-एम. एल. ए. रोड, गंगापुर, डबरा (म.प्र.).
- श्री योगेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र श्री जी. एस. कुशवाह, आयु 35 वर्ष, निवासी-बी-91, पुष्कर कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.).

परन्तु फर्म में निम्न दो साझेदारों ने निजी कारणों से दिनांक 01-04-2016 से फर्म से स्वयं को पूर्ण रूप से अलग कर लिया है. शेष 2 साझेदार यथावत् रहेंगे.

- श्री शरदचंद सिंघल पुत्र श्री रामेश्वर दयाल सिंघल, आयु 42 वर्ष, निवासी-79, मयूर मार्केट, ठाठीपुर मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).
- श्री कौशल गुप्ता पुत्र श्री एस. एस. गुप्ता, आयु 44 वर्ष, निवासी-एम. एल. ए. रोड, गंगापुर, डबरा (म.प्र.).

दिनांक 01-04-2016 को ही फर्म में निम्न एक साझेदार का आगमन भी हुआ है. जिसका विवरण निम्न है:-

- श्री पारस अग्रवाल पुत्र श्री अनिल कुमार गुप्ता, आयु 30 वर्ष, निवासी-553, सुरेश नगर, ठाठीपुर, मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

अतः अब फर्म का संचालन शेष दो साझेदार एवं नवीन सझेदार अर्थात् तीनों के द्वारा संचालित होगा.

उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन होने से किसी व्यक्ति, संस्था, विभाग आदि को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो या उक्त फर्म पर किसी भी प्रकार का ऋण भार हो अथवा उक्त फर्म में कोई भी अपना किसी भी प्रकार का हक या अधिकार रखता हो या कोई जमानत/गारंटी आदि का भार हो वह इस सूचना प्रकाशन से 7 दिन के अन्दर मय प्रमाण के उपस्थित होकर सम्पर्क करें एवं अपनी आपत्ति दर्ज करावें. इस सूचना की म्याद समाप्त होने पर उक्त वर्णित फर्म की रचना में परिवर्तन को पंजीकृत करा लिया जावेगा और इस प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर व्यर्थ एवं शून्य मानी जावेगी.

प्रेषक
शैलेष गर्ग,
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)
ग्वालियर (म.प्र.).

(129-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मै. राजावत कंस्ट्रेकशन कम्पनी के साझेदारों में दिनांक 07-05-2016 को निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं .—

साझेदार-पूर्व में फर्म में क्रमशः निम्न 3 साझेदार थे:—

- श्री योगेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र श्री जी. एस. कुशवाह, आयु 35 वर्ष, निवासी-बी-91, पुष्कर कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.).
- श्री धीरेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र श्री जी. एस. कुशवाह, आयु 39 वर्ष, निवासी-बी-91, पुष्कर कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.).
- श्री नरेश सिंह कुशवाह पुत्र श्री जी. एस. कुशवाह, आयु 49 वर्ष, निवासी-बी-91, पुष्कर कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.).

परन्तु फर्म में निम्न एक साझेदार ने निजी कारणों से दिनांक 07-05-2016 से फर्म से स्वयं को पूर्ण रूप से अलग कर लिया है. शेष 2 साझेदार यथावत् रहेंगे.

- श्री योगेन्द्र सिंह कुशवाह पुत्र श्री जी. एस. कुशवाह, आयु 35 वर्ष, निवासी-बी-91, पुष्कर कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.).

दिनांक 07 मई, 2016 को ही फर्म में निम्न एक साझेदार का आगमन भी हुआ है. जिसका विवरण निम्न है:-

- श्रीमती सोनल कुशवाह पत्नी श्री योगेन्द्र सिंह कुशवाह, आयु 28 वर्ष, निवासी-बी-91, पुष्कर कॉलोनी, गोले का मंदिर, ग्वालियर (म.प्र.).

अत: अब फर्म का संचालन शेष दो साझेदार एवं नवीन सझेदार अर्थात् तीनों के द्वारा संचालित होगा.

उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन होने से किसी व्यक्ति, संस्था, विभाग आदि को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो या उक्त फर्म पर किसी भी प्रकार का ऋण भार हो अथवा उक्त फर्म में कोई भी अपना किसी भी प्रकार का हक या अधिकार रखता हो या कोई जमानत/गारंटी आदि का भार हो वह इस सूचना प्रकाशन से 7 दिन के अन्दर मय प्रमाण के उपस्थित होकर सम्पर्क करें एवं अपनी आपत्ति दर्ज करावें. इस सूचना की म्याद समाप्त होने पर उक्त वर्णित फर्म की रचना में परिवर्तन को पंजीकृत करा लिया जावेगा और इस प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर व्यर्थ एवं शून्य मानी जावेगी.

प्रेषक
शैलेष गर्ग,
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)
ग्वालियर (म.प्र.).

(130-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मै. लक्ष्मी चन्द एण्ड कम्पनी के साझेदारों में दिनांक 01-04-2014 को निम्नलिखित संशोधन किये गये हैं .—

साझेदार-पूर्व में फर्म में क्रमश: निम्न 8 साझेदार थे:—

- श्री भगवती प्रसाद सिंघल पुत्र श्री रामेश्वर दयाल सिंघल, आयु 44 वर्ष, निवासी-79, मयूर मार्केट, ठाठीपुर मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).
- श्री शरदचंद सिंघल पुत्र श्री रामेश्वर दयाल सिंघल, आयु 42 वर्ष, निवासी-79, मयूर मार्केट, ठाठीपुर मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).
- श्री राजेश कुमार गुप्ता पुत्र श्री रामेश्वर दयाल सिंघल, आयु 35 वर्ष, निवासी-79, मयूर मार्केट, ठाठीपुर मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).
- श्रीमती विघादेवी सिंघल पत्नी श्री रामेश्वर दयाल सिंघल, आयु 63 वर्ष, निवासी-79, मयूर मार्केट, ठाठीपुर मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).
- श्रीमती साधना सिंघल पत्नी श्री भगवती प्रसाद सिंघल, आयु 44 वर्ष, निवासी-79, मयूर मार्केट, ठाठीपुर मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).
- श्रीमती मंजू सिंघल पत्नी श्री शरदचंद सिंघल, आयु 36 वर्ष, निवासी-79, मयूर मार्केट, ठाठीपुर मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).
- श्रीमती अनुपमा सिंघल पत्नी श्री पूरनचंद सिंघल, आयु 35 वर्ष, निवासी-79, मयूर मार्केट, ठाठीपुर मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).
- श्रीमती रेखा गुप्ता पत्नी श्री राजेश कुमार गुप्ता, आयु 34 वर्ष, निवासी-79, मयूर मार्केट, ठाठीपुर मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

परन्तु फर्म में निम्न दो साझेदारों ने निजी कारणों से दिनांक 01-04-2014 से फर्म से स्वयं को पूर्ण रूप से अलग कर लिया है. शेष 6 साझेदार यथावत् रहेंगे तथा भविष्य में फर्म का संचालन इन्हीं के द्वारा किया जावेगा.

- श्रीमती विघादेवी सिंघल पत्नी श्री रामेश्वर दयाल सिंघल, आयु 63 वर्ष, निवासी-79, मयूर मार्केट, ठाठीपुर मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).
- श्रीमती अनुपमा सिंघल पत्नी श्री पूरनचंद सिंघल, आयु 35 वर्ष, निवासी-79, मयूर मार्केट, ठाठीपुर मुरार, ग्वालियर (म.प्र.).

उक्त फर्म की रचना में परिवर्तन होने से किसी व्यक्ति, संस्था, विभाग आदि को किसी भी प्रकार की आपत्ति हो या उक्त फर्म पर किसी भी प्रकार का ऋण भार हो अथवा उक्त फर्म में कोई भी अपना किसी भी प्रकार का हक या अधिकार रखता हो या कोई जमानत/गारंटी आदि का भार हो वह इस सूचना प्रकाशन से 7 दिन के अन्दर मय प्रमाण के उपस्थित होकर सम्पर्क करें एवं अपनी आपत्ति दर्ज करावें. इस सूचना की म्याद समाप्त होने पर उक्त वर्णित फर्म की रचना में परिवर्तन को पंजीकृत करा लिया जावेगा और इस प्रकार की आपत्ति प्रभावहीन होकर व्यर्थ एवं शून्य मानी जावेगी.

प्रेषक
शैलेष गर्ग,
(चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट)
ग्वालियर (म.प्र.).

(132-बी.)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 17 मई, 2016

राज्य वन सेवा ऑनलाईन परीक्षा-2014, परीक्षा दिनांक 05 जनवरी, 2016 से 23 जनवरी, 2016 तक एवं

20 फरवरी, 2016 व 21 फरवरी, 2016 संक्षिप्त समाचार विज्ञप्ति

(शारीरिक क्षमता परीक्षण व साक्षात्कार हेतु मय प्रमाण-पत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण फॉर्म एवं आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 20 जून, 2016 है, साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी).

वि. क्र. 2527/39/2015/अनु-10.—विज्ञापन क्र. 04/परीक्षा/2014, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 13 फरवरी, 2015 अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के तहत सहायक वन संरक्षक के कुल-23 एवं वन क्षेत्रपाल के कुल-100, रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था. उपरोक्त परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी किये गये. इस परीक्षा में सहायक वन संरक्षक पद के कुल-17957 तथा वन क्षेत्रपाल के पद के कुल-19217 आवेदक उपस्थित हुए थे. सहायक वन संरक्षक व दोनों पद (सहायक वन संरक्षक+वन क्षेत्रपाल) पद के लिखित परीक्षा परिणाम में कुल 69 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित—42, अनुसूचित जाति —निरंक, अनुसूचित जनजाति—18 व अन्य पिछड़ा वर्ग-09 हैं. इनमें कुल महिला—21 है. नि:शक्तजन व भूतपूर्व सैनिक निरंक हैं. वन क्षेत्रपाल व दोनों पद (वन क्षेत्रपाल+सहायक वन संरक्षक) के लिखित परीक्षा परिणाम में कुल-300 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित—150, अनुसूचित जाति—48, अनुसूचित जनजाति—60 व अन्य पिछड़ा वर्ग—42 हैं. इनमें महिला—90 सम्मिलित हैं. नि:शक्तजन व भूतपूर्व सैनिक निरंक हैं. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

2. राज्य वन सेवा ऑनलाईन परीक्षा के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है. प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म डाउनलोड करके विधिवत् भरकर अनुप्रमाणन फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 20 जून, 2016 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अनुप्रमाणन फॉर्म अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फॉर्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जाँच के उपरांत ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी. साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी. परीक्षा परिणाम की विस्तृत जानकारी आयोग की वेबसाईट पर उपलब्ध है.

वंदना वैद्य,
उप-सचिव.

(402)

इन्दौर, दिनांक 17 मई, 2016

राज्य वन सेवा ऑनलाईन परीक्षा-2014, परीक्षा दिनांक 05 जनवरी, 2016 से 23 जनवरी, 2016 तक एवं

20 फरवरी, 2016 एवं 21 फरवरी, 2016

लिखित परीक्षा परिणाम

(शारीरिक क्षमता परीक्षण तथा साक्षात्कार हेतु मय प्रमाण-पत्रों के अनुप्रमाणन फॉर्म, व्यक्तिगत विवरण पत्रक, आवेदन-पत्र आयोग में जमा करने की अंतिम तिथि 20 जून, 2016 निर्धारित है, साक्षात्कार तिथि पृथक् से घोषित की जाएगी).

वि. क्र. 2527/39/2015/अनु-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग के विज्ञापन क्र. 04/परीक्षा/2014, दिनांक 30 दिसम्बर, 2014 ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 13 फरवरी, 2015 अंतर्गत मध्यप्रदेश शासन वन विभाग के तहत सहायक वन संरक्षक के कुल-23 एवं वन क्षेत्रपाल के कुल-100,

रिक्त पदों की पूर्ति हेतु विज्ञापन जारी किया गया था. जिसमें ऑनलाईन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13 फरवरी, 2015 निर्धारित थी. उपरोक्त लिखित परीक्षा में शारीरिक क्षमता परीक्षण तथा साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदकों का परीक्षा परिणाम आयोग की विज्ञप्ति क्र. 2527/39/2015/अनु-10, दिनांक 17 मई, 2016 द्वारा घोषित किया गया है. यह परिणाम आयोग कार्यालय के सूचना-पटल पर देखने के लिए उपलब्ध है तथा ''रोजगार और निर्माण'' के आगामी अंक में प्रकाशित किया जा रहा है. इसे आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर देखा जा सकता है.

इस परीक्षा में ऑनलाईन आवेदन-पत्र प्राप्त हुए थे, जिन्हें लिखित परीक्षा हेतु प्रवेश-पत्र जारी किये गये. इस परीक्षा में सहायक वन संरक्षक पद के कुल-17957 तथा वन क्षेत्रपाल के पद के कुल-19217 आवेदक उपस्थित हुए थे. सहायक वन संरक्षक व दोनों पद (सहायक वन संरक्षक+वन क्षेत्रपाल) हेतु के लिखित परीक्षा परिणाम में कुल 69 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित—42, अनुसूचित जाति —निरंक, अनुसूचित जनजाति—18 व अन्य पिछड़ा वर्ग-09 हैं. इनमें कुल महिला—21 हैं. नि:शक्तजन व भूतपूर्व सैनिक निरंक हैं. वन क्षेत्रपाल व दोनों पद (वन क्षेत्रपाल+सहायक वन संरक्षक) हेतु के लिखित परीक्षा परिणाम में कुल-300 आवेदक साक्षात्कार हेतु अर्ह पाये गये, इनमें श्रेणीवार अर्ह अनारक्षित—150, अनुसूचित जाति—48, अनुसूचित जनजाति—60 व अन्य पिछड़ा वर्ग—42 हैं. इनमें महिला—90 सम्मिलित हैं. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिये आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय में रखी परीक्षाफल की सूची ही प्रमाणिक मानी जाएगी.

2. राज्य वन सेवा ऑनलाईन परीक्षा-2014 के सभी प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों हेतु अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com, www.mppscdemo.in एवं www.mppsc.nic.in पर उपलब्ध है. प्रावधिक अर्ह अभ्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है कि वे अनुप्रमाणन फॉर्म एवं व्यक्तिगत विवरण फॉर्म डाउनलोड करके विधिवत् भरकर अनुप्रमाण फार्म (एक प्रति) एवं व्यक्तिगत विवरण फार्म (एक प्रति) उसके साथ जन्मतिथि, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांगता प्रमाण-पत्र एवं परीक्षा के लिए भरे गए आवेदन-पत्र की प्रति अन्य समस्त प्रमाण-पत्रों की प्रमाणित छायाप्रति सहित संलग्न कर दिनांक 20 जून, 2016 तक आयोग कार्यालय में भेजना सुनिश्चित करें. जिन आवेदकों के अभिलेख अंतिम तिथि तक प्राप्त नहीं होंगे उनके विषय में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाह रहे हैं, उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर आयोग द्वारा नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी.

3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अभिलेखों की सूक्ष्म जाँच के उपरांत ही आवेदन-पत्र में दी गई अर्हता की जानकारी सही पाए जाने पर ही साक्षात्कार की पात्रता होगी.

4. आवेदन-पत्र में त्रुटिपूर्ण, अपूर्ण, असत्य जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणामस्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.

5. लिखित परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी यदि कोई कम्प्यूटर त्रुटि/लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

परीक्षा परिणाम में अर्ह आवेदकों की सूची निम्नानुसार है:-

विज्ञापित रिक्तियों की संख्या

सहायक वन संरक्षक

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या	14	—	06	03	23
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियां	04	—	02	01	07
(स)	कुल रिक्तियों में से म. प्र. के मूल निवासी नि:शक्तजनों हेतु (आरक्षित रिक्तियां)	—	—	—	—	—
(द)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित रिक्तियां.	—	—	—	—	—

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या	42	—	18	09	69
(ब)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध प्रावधिक अर्ह महिला आवेदकों की संख्या.	12	—	06	03	21
(स)	कुल रिक्तियों में से म. प्र. के मूल निवासी नि:शक्तजनों हेतु आरक्षित रिक्तियां.	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
(द)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित रिक्तियां.	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

विज्ञापित रिक्तियों की संख्या

वन क्षेत्रपाल

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल रिक्तियों की संख्या	50	16	20	14	100
(ब)	कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित रिक्तियां	15	05	06	04	30
(स)	कुल रिक्तियों में से म. प्र. नि:शक्तजनों हेतु (आरक्षित रिक्तियां)	—	—	—	—	—
(द)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित रिक्तियां.	—	—	—	—	—

क्र.	विवरण	अना.	अजा.	अजजा.	अपिवर्ग	योग
(अ)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों की संख्या	150	48	60	42	300
(ब)	कुल प्रावधिक अर्ह आवेदकों में से महिलाओं केलिए आरक्षित रिक्तियों के विरुद्ध प्रावधिक अर्ह महिला आवेदकों की संख्या.	45	15	18	12	90
(स)	कुल रिक्तियों में से म. प्र. के मूल निवासी नि:शक्तजनों हेतु (आरक्षित रिक्तियां)	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL
(द)	कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिक के लिए आरक्षित रिक्तियां.	NIL	NIL	NIL	NIL	NIL

Post Name : ACF

LIST OF CANDIDATES ELIGIBLE FOR PHYSICAL FITNESS & INTERVIEW

S. No.	Roll No.	Full Name
1	AFBH0200414	MAHESH CHANDRA KUSHWAH
2	AFBH0300301	SANJEEV KUMAR
3	AFBH0400033	SHUBHAM JAIN
4	AFBH0400117	RACHNA SHARMA
5	AFBH0401320	SACHIN SINGH
6	AFBH0500480	RISHABH BISARIA

S. No.	Roll No.	Full Name
7	AFBH0500501	SWETA SINGH
8	AFBH0700307	DEEPIKA TIWARI
9	AFBH0701043	PANKAJ KUMAR SHARMA
10	AFBH0701289	NEERAJ SHARMA
11	AFBH0800178	RUHI HAQUE
12	AFBH0800297	PRIVESH WARADE
13	AFBH0800776	NASREEN KAUSER
14	AFBH0801057	DINESH KUMAR YADAV
15	AFBH0900167	SEEMA THAKUR
16	AFBH0900173	LATIKA TIWARI
17	AFBH1100126	VIVEK SINGH
18	AFBHl100214	RAJU KONOJE
19	AFBH1100246	VAISHALI NAMDEO
20	AFBH1100400	LAXMINARAYAN VERMA
21	AFBH1200245	GAURAV WANKHEDE
22	AFBH1200316	PRATEEK SHRIVASTAVA
23	AFBH1200317	PRASHANT KUMAR SAKARE
24	AFBH1300135	BASANT KUMAR PICHHODE
25	AFBH1400085	KRATIKA SHUKLA
26	AFBH1400153	CHHAVI BAGHEL
27	AFBH1700077	ASHISH KUMAR PANDEY
28	AFBH1700114	RAKSHA MARAVI
29	AFBH1700142	RAHUL KUMAR UPADHYAY
30	AFBH1700938	ASHISH KUMAR PATEL
31	AFBH1800184	HARMAN BOPARAI
32	AFBH1800357	NEERAJ BISEN
33	AFBH1900229	SMRITI DUBEY
34	AFBH2000134	PRIYANKA BATHAM
35	AFBH2000179	MONIKA MEWADE
36	AFBH2000560	DEEPAK SHRIVASTAVA
37	AFBH2001092	NISHESH GOSWAMI
38	AFBH2100041	AN1RUDDH PATHAK
39	AFBH2100241	BRIJESH DHURWEY
40	AFBH2300566	BADSHAH RAWAT
41	AFBH2300705	ABHISHEK KUMAR TIWARI
42	AFBH2301022	PRIYANKA MARKAM
43	AFBH2400526	VIJAY MORE
44	AFBH2500214	REKHA PATEL
45	AFBH2600128	MOHD OBAIDULLAH
46	AFBH2700168	DINESH SINGH GOUR
47	AFBH2800191	GAJANAND BIRLA
48	AFBH2800530	SAPAN TAMRAKAR

S. No.	Roll No.	Full Name
49	AFBH2900236	RAJA KHARE
50	AFID3200112	ASIM BHURIYA
51	AFID3200577	ABHAY S1NGH TOMAR
52	AFID3200671	VIVEK CHOUDHARY
53	AFID3300392	AMIT SOLANKI
54	AF1D3300574	VIKAS THAKUR
55	AFID3500211	HARSHIT MISHRA
56	AFID3600111	PUSHPENDRA SINGH DHAKAR
57	AF1D3601093	AJAY SHARMA
58	AFID3700542	PRIYANKA BAMNIYA
59	AFID3800594	SAMEEKSHA SISODIYA
60	AFID3800633	SHAKTI SINGH CHOUHAN
61	AFID3800718	RAHUL CHOUHAN
62	AFID3801243	DINESH WASKEL
63	AFID3900167	MANOJ GARWAL
64	AFID3900342	ANIL KUMAR SONI
65	AFID3900654	SWAMIKARTIK NAYAK
66	AFID4500199	ANKIT JAMOD
67	AFID4500228	SADHNA CHOUHAN
68	AFID4600183	GOPAL UIKE
69	AFID4800217	SONU PARMAR

POST NAME : RANGER

LIST OF CANDIDATES ELIGIBLE FOR PHYSICAL FITNESS & INTERVIEW

S. No.	Roll No.	Full Name
1	AFBH0100126	YOGESH KUMAR RATHORE
2	AFBH0100468	LALIT MOHAN AHIRWAR
3	AFBH0100549	POONAM GUPTA
4	AFBH0200142	NEETA SINGH
5	AFBH0200193	SANDEEP SINGH THAKUR
6	AFBH0200234	VIVEK KUMAR SINGH
7	AFBH0200341	TEJPAL SINGH SIKARWAR
8	AFBH0200414	MAHESH CHANDRA KUSHWAH
9	AFBH0200436	PANKAJ DUBEY
10	AFBH0200452	NEERAJ SINGH
11	AFBH0200481	ANUJ KUMAR SHARMA
12	AFBH0300301	SANJEEV KUMAR
13	AFBH0300382	MAYANK RAI
14	AFBH0300389	MAYANK SINGH GURJAR
15	AFBH0300423	NEERAJ PARIHAR
16.	AFBH0300922	RAJENDRA SINGH MEENA
17	AFBH0301027	PAWAN SHARMA
18	AFBH0301307	AMIT KUMAR SAHU
19	AFBH0400033	SHUBHAM JAIN

S. No.	Roll No.	Full Name
20	AFBH0400117	RACHNA SHARMA
21	AFBH0400791	AMIT KUMAR VISHWAKARMA
22	AFBH0400826	PRAVEEN SHARMA
23	AFBH0400996	MUKESH KUMAR
24	AFBH0401059	SAURABH TIWARI
25	AFBH0401320	SACHIN SINGH
26	AFBH0401331	SATISH DEHARIYA
27	AFBH0500096	KULDEEP BHALAVE
28	AFBH0500168	PREETI YADAV
29	AFBH0500429	RAJENDRA KUMAR YADAV
30	AFBH0500480	RISHABH BISARIA
31	AFBH0500501	SWETA SINGH
32	AFBH0500574	JAI SHANKAR SINGH
33	AFBH0500586	SANTOSH SINGH
34	AFBH0600022	MANISH KUMAR PANDEY
35	AFBH0600034	DEEPAK KUMAR SINGH
36	AFBH0600048	MUKESH KUMAR AHIRWAR
37	AFBH0600053	VIKAS JAMRE
38	AFBH0600313	VINOD KUMAR JATAV
39	AFBH0600444	SHUBHAM SHARMA
40	AFBH0600445	SHARAD JATAV
41	AFBH0600561	BABU LAL CHADHAR
42	AFBH0600606	ADITYA KUMAR SINGH
43	AFBH0600713	DURGESH KUMAR SINGH
44	AFBH0600762	SHUBHANK SHARMA
45	AFBH0600900	ANKIT SON1
46	AFBH0700158	MITHUN SISODIYA
47	AFBH0700196	RUPESH KUMAR LUHARIYA
48	AFBH0700307	DEEPIKA TIWARI
49	AFBH0700350	VINAY SINGH YADAV
50	AFBH0700856	AKHILESH PATEL
51	AFBH0700919	DINESH KUMAR PATEL
52	AFBH0701043	PANKAJ KUMAR SHARMA
53	AFBH0701209	BEENU SINGH GAHARVAR
54	AFBH0701289	NEERAJ SHARMA
55	AFBH0800178	RUHI HAQUE
56	AFBH0800250	DHEERAJ CHAUDHARY
57	AFBH0800271	SANTOSH YADAV
58	AFBH0800297	PRIVESH WARADE
59	AFBH0800423	GHANSHYAM DAS CHATURVEDI
60	AFBH0800459	PANSINGH DHAKAR
61	AFBH0800468	SHOBHA RAGHUWANSHI
62	AFBH0800508	SWATI RAJ
63	AFBH0800544	SUSHIL GOUR
64	AFBH0800704	PRAGYA BHARGAVA

S. No.	Roll No.	Full Name
65	AFBH0800831	SAKSHI SOUNDHIYA
66	AFBH0801009	DEEPAK SHARMA
67	AFBH0801057	DINESH KUMAR YADAV
68	AFBH0801181	PRACHI MISHRA
69	AFBH0801296	ASHISH RAWAT
70	AFBH0900056	JAY KUMAR DEHARIYA
71	AFBH0900167	SEEMA THAKUR
72	AFBH0900173	LATIKA TIWARI
73	AFBH0900232	NIDHI TIWARI
74	AFBH1100048	ASHOK KUMAR PATIDAR
75	AFBH1100126	VIVEK SINGH
76	AFBH1100134	KAUMUDI LAL
77	AFBH1100185	VINEETA SURYWANSHI
78	AFBH1100214	RAJU KONOJE
79	AFBH1100246	VAISHALI NAMDEO
80	AFBH1100294	SANDEEP SINGH TOMAR
81	AFBH1100400	LAXMI NARAYANVERMA
82	AFBH1100426	KEERTI PATEL
83	AFBH1100525	SHALINEE DWIVEDI
84	AFBH1200052	RAKHI PANDEY
85	AFBH1200196	PAWAN KUMAR LONI
86	AFBH1200245	GAURAV WANKHEDE
87	AFBH1200316	PRATEEK SHRIVASTAVA
88	AFBH1200317	PRASHANT KUMAR SAKARE
89	AFBH1300012	AKANSHA SINGH
90	AFBH1300038	DINESH KUMAR SUTRAKAR
91	AFBH1300047	MEENA DAHERIYA
92	AFBH1300114	CHHAVI PANT
93	AFBH1300135	BASANT KUMAR PICHHODE
94	AFBH1300232	MAHENDRA KUMAR SARGAIYAN
95	AFBH1400085	KRATIKA SHUKLA
96	AFBH1400153	CHHAVI BAGHEL
97	AFBH1400218	DEEPTI GADPALE
98	AFBH1400263	RAM GOVIND RAI
99	AFBH1400326	DINESH KAUSHAL
100	AFBH1400335	KAVITA RAWAT
101	AFBH1600042	AMRITANSHU SINGH
102	AFBH1700077	ASHISH KUMAR PANDEY
103	AFBH1700114	RAKSHA MARAVI
104	AFBH1700142	RAHUL KUMAR UPADHYAY
105	AFBH1700499	SANGEETA AMALTASS
106	AFBH1700507	REETIKA YADAV
107	AFBH1700938	ASHISH KUMAR PATEL
108	AFBH1701045	SHRIKAMAL PATEL
109	AFBH1701050	AMIT KULSHRESTHA

S. No.	Roll No.	Full Name
110	AFBH1800002	TILAK SINGH RAIPURIA
111	AFBH1800117	FAYZA KHAN
112	AFBH1800184	HARMAN BOPARAI
113	AFBH1800357	NEERAJ BISEN
114	AFBH1800691	SONAM JAIN
115	AFBH1801017	LEKHERAJ VERMA
116	AFBH1801168	NISHA MESHRAM
117	AFBH1900229	SMRITI DUBEY
118	AFBH1900235	SUYANKA CHAURASIYA
119	AFBH1900409	HARSHVARDHAN SHARMA
120	AFBH1900484	SUBHASH PRAJAPATI
121	AFBH2000134	PRIYANKA BATHAM
122	AFBH2000179	MON1KA MEWADE
123	AFBH2000326	MITRAMALA BHALADHARE
124	AFBH2000522	NEETA JHANGYANI
125	AFBH2000560	DEEPAK SHRIVASTAVA
126	AFBH2000774	PRADIP SOLANKI
127	AFBH2000840	MANISHA UIKEY
128	AFBH2001083	ATUL KUMAR JAIN
129	AFBH2001092	NISHESH GOSWAM1
130	AFBH2100025	MONIKA PARDHI
131	AFBH2100041	ANIRUDDH PATHAK
132	AFBH2100149	DAMODAR DAS
133	AFBH2100220	NEHA GHODESHWAR
134	AFBH2100241	BRIJESH DHURWEY
135	AFBH2100322	ASHA DEVI PATLE
136	AFBH2100384	ROOP K1SHOR DIXIT
137	AFBH2200154	ANK1T BHADORIA
138	AFBH2200164	DIWAKAR SINGH
139	AFBH2200258	NEHA MISRA
140	AFBH2300501	POOJA SHARMA
141	AFBH2300566	BADSHAH RAWAT
142	AFBH2300705	ABHISHEK KUMAR TIWARI
143	AFBH2301022	PRIYANKA MARKAM
144	AFBH2301219	DEEP SINGH
145	AFBH2301354	RAJESH KUMAR SHARMA
146	AFBH2301357	ANNAPURNA MISHRA
147	AFBH2301364	VARSHA AJEET
148	AFBH2400304	LEKESHWARI PAL
149	AFBH2400431	OM KUMAR SHRIVASTAVA
150	AFBH2400526	VIJAY MORE
151	AFBH2400551	VIVEK KUMAR SINGHAI
152	AFBH2400903	VIKAS MISHRA
153	AFBH2400911	ARCHANA CHATURVEDI
154	AFBH2400973	VIVEK KUMAR PARASTE

S. No.	Roll No.	Full Name
155	AFBH2400988	DEEPTI GUJARIA
156	AFBH2401068	ANJU VERMA
157	AFBH2401129	AKHILESH CHOURASIYA
158	AFBH2401133	SHASHI ARYA
159	AFBH2401222	JEETU SINGH BAGHEL
160	AFBH2500214	REKHA PATEL
161	AFBH2500251	SHIVAM KAUSHIK
162	AFBH2500383	KRISHNAKANT UIKEY
163	AFBH2500389	PRERNA DUBEY
164	AFBH2500626	DEVENDRA KUMAR DHAKAD
165	AFBH2500692	JAISHRI SURYAWANSHI
166	AFBH2600041	SALMAN KHANBAHANA
167	AFBH2600126	RUPENDRA WARKADE
168	AFBH2600128	MOHD OBAIDULLAH
169	AFBH2600197	SOURABH SINGH SHARNAGAT
170	AFBH2700066	JITENDRA KUMAR PARASHAR
171	AFBH2700168	DINESH SINGH GOUR
172	AFBH2700359	NEHA GOUR
173	AFBH2700381	VAIBHAV SINGH CHANDEL
174	AFBH2700728	NIDHI PAWAR
175	AFBH2700813	DEEPENDRA RATHOUR
176	AFBH2701258	REENA MEWADA
177	AFBH2701294	SARALA SINGH
178	AFBH2800191	GAJANAND BIRLA
179	AFBH2800335	GAURAVA KUMAR SAXENA
180	AFBH2800350	AMAR SINGH THAKUR
181	AFBH2800530	SAPAN TAMRAKAR
182	AFBH2900205	NARENDRA PANDWA
183	AFBH2900236	RAJA KHARE
184	AFBH2900443	RITU KATARHA
185	AFBH3000158	RUKMANI KUSHRAM
186	AFID3200112	ASIM BHURIYA
187	AFID3200160	SANGEETA CHOUHAN
188	AFID3200275	SAURABH GUPTA
189	AFID3200403	HARSHVARDHAN SINGH MUVEL
190	AFID3200520	SANJAY CHOUHAN
191	AFID3200577	ABHAY SINGH TOMAR
192	AFID3200633	VIKAS KUMAR THAKUR
193	AFID3200647	VIJAY KUMAR CHOUHAN
194	AFID3200671	VIVEK CHOUDHARY
195	AFID3300071	VIVEK KUMAR SONI
196	AFID3300077	DHARMENDRA SHARMA
197	AFID3300246	ANIL KUMAR
198	AFID3300251	JYOTI MUVEL

S. No.	Roll No.	Full Name
199	AFID3300338	PRTYANKA RAGHUWANSHI
200	AFID3300392	AMIT SOLANKI
201	AFID3300398	NITIN KUMAR CHOUDHARY
202	AFID3300476	PRIYA SINGH
203	AFID3300574	VIKAS THAKUR
204	AFID3300616	SUNIL MUJALDE
205	AFID3300661	PREETI PATEL
206	AFID3400453	LALIT KISHOR
207	AFID3400551	RAVINDRA SINGH
208	AFID3400559	AJAY SOLANKI
209	AFID3500099	DEEPAK RAJ PRAJAPATI
210	AFID3500211	HARSHIT MISHRA
211	AFID3500228	DEBI PRASAD CHAKRABORTY
212	AFID3500503	SACHIN KUMAR GUPTA
213	AFID3600093	KRISHNKUMAR BADWAYA CHAUHAN
214	AFID3600101	MANISH KUMAR MISHRA
215	AFID3600111	PUSHPENDRA SINGH DHAKAR
216	AFID3600426	SOHAIL KHAN
217	AFID3600480	VANDNA PAL
218	AFID3600482	RITESH SONI
219	AFID3600508	VIKAS MANDLOI
220	AFID3600528	PREETI SINGH PARASTE
221	AFID3600873	GOPAL KUMAR PATIDAR
222	AFID3600902	NARENDRA PAL
223	AFID3600961	PIYUSH KUMAR GAUTAM
224	AFID3601093	AJAY SHARMA
225	AF1D3601118	HANSRAJ CHOUHAN
226	AFID3601152	ROHIT CHATURVEDI
227	AFID3601176	VIKAS KUMAR SULIYA
228	AFID3601228	LAKHAN PARMAR
229	AFID3601233	JITENDRA BANSAL
230	AFID3700116	PAWAN KUMAR TAMRAKAR
231	AFID3700232	SANDEEP BAMANIYA
232	AFID3700335	VIKAS MAHORE
233	AFID3700373	HEMANT BIRLA
234	AFID3700542	PRIYANKA BAMNIYA
235	AFID3700586	GOURAV WASEN
236	AFID3700769	NITIN SAHU
237	AFID3700811	NIKHLESH SHARMA
238	AFID3700843	GURUDAYAL SAHU
239	AFID3700938	DEEPAK DANGODE
240	AFID3800297	NANDLAL GAMAD
241	AFID3800594	SAMEEKSHA SISODIYA
242	AFID3800638	RITESHPAL SINGH NIGWAL

S. No.	Roll No.	Full Name
243	AFID3800718	RAHUL CHOUHAN
244	AFID3800861	REENA KUMARIYA
245	AFID3801243	DINESH WASKEL
246	AFID3900084	PRATEEK KUMAR DUBEY
247	AFID3900100	YOGESH KUMAR PATEL
248	AFID3900167	MANOJ GARWAL
249	AFID3900244	RAJENDRA MANDLOI
250	AFID3900342	ANIL KUMAR SONI
251	AFID3900529	ARCHNA AKHAND
252	AFID3900607	MANISHA MASANIYA
253	AFID3900654	SWAMI KARTIK NAYAK
254	AFID3900865	JAIDEEP SHARMA
255	AFID3901009	RAJKUMAR RATHOR
256	AFID4000061	KAILASH BAMNIYA
257	AFID4000112	RAHUL PAWAR
258	AFID4000521	POONAM PATHAK
259	AFID4100158	SHEETAL KAWACHHE
260	AFID4200057	PIYUSH PRASAD CHAUDHARY
261	AFID4200109	ROHIT RAGHUWANSHI
262	AFID4200317	MEGHA UIKEY
263	AFID4200491	JAY SHANKAR DHURWEY
264	AFID4200545	LAXMAN SINGH MEENA
265	AFID4300646	SANJEEV KUMAR CHAURASIA
266	AFID4300676	REVSINGH DAWAR
267	AFID4400424	JATAN SINGH RAWAT
268	AFID4400462	VIRENDRA MISHRA
269	AFID4500060	ABHILASHA RAO KALWA
270	AFID4500090	RAHUL BHARGAV
271	AFID4500166	BALWANT SINGH KESHWAL
272	AFID4500199	ANKIT JAMOD
273	AFID4500218	JAIRAJ SINGH SISODIA
274	AFID4500228	SADHNA CHOUHAN
275	AFID4500241	TARUN ANIYA
276	AFID4500308	PRAMOD KUMAR PRAJAPATI
277	AFID4500524	ALKA JAYSWAL
278	AFID4500634	RUCHIKA TIWARI
279	AFID4500784	YASHDEEP RAWAT
280	AFID4500807	RITESH KUMAR SHIV
281	AFID4500898	SHAMVEER GAUTAM
282	AFID4600183	GOPAL UIKE
283	AFID4700196	SANDEEP WASKALE
284	AFID4700248	RANJEET SINGH BAIRWA
285	AFID4700284	NARENDRA SAWLE
286	AFID4700285	RAGHVENDRA BHADORIYA
287	AFID4700293	B.KAMAKSHA RAJALU
288	AFID4700425	KARISHMA AWASE

S. No.	Roll No.	Full Name
289	AFID4800017	AAKASH ASKE
290	AFID4800054	RADHESHYAM KATARA
291	AFID4800113	REWARATN RAO KORE
292	AFID4800146	DILIP GARWAL
293	AFID4800177	MAHENDRA KANESH
294	AFID4800210	SUMAN PARMAR
295	AFID4800217	SONU PARMAR
296	AFID4800262	VISHNU KUMAR PRADHAN
297	AFID4900003	CHANDER NIMADI
298	AFID4900078	VIMALA MUVEL
299	AFID4900080	PARAG SENANI
300	AFID4900175	JEEVAN LAL POLAYA

महत्वपूर्ण टीप:—

1. आवेदक शारीरिक क्षमता परीक्षण तथा साक्षात्कार हेतु आमंत्रित किए जा रहे हैं. शारीरिक क्षमता परीक्षण साक्षात्कार के पूर्व होगा.
2. सूची में दर्शाये गये प्रत्याशियों का साक्षात्कार पूर्णत: प्रावधिक (प्रॉविजनल) है, यदि यह पाया गया कि प्रत्याशी उपरोक्त पदों हेतु विज्ञापन में अधिसूचित नियमों/शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो प्रत्याशी साक्षात्कार हेतु अयोग्य माने जाएंगे.
3. प्रावधिक अर्ह पाये गये आवेदकों के अनुप्रमाणित फॉर्म एवं अन्य अभिलेखों की सूक्ष्म जाँच के उपरान्त ही साक्षात्कार आयोजित होंगे.
4. परीक्षा में प्रत्याशियों को प्रवेश से संबंधित शर्तों के अनुसार अपनी आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र के समर्थन में मूल प्रमाण-पत्र की प्रमाणिक प्रतियां साक्षात्कार के समय प्रस्तुत करना अनिवार्य है.
5. यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी स्वयं आवेदक की होगी कि वे आवेदित पद के लिये निर्धारित समस्त अर्हताओं और शर्तों को पूरा करते हैं. अत: आवेदन करने के पहले आवेदक अपनी अर्हता की जाँच स्वयं कर लें और अर्हता की समस्त शर्तों को पूरा करने पर ही आवेदन-पत्र भेजें. लिखित परीक्षा में सम्मिलित किये जाने या साक्षात्कार के लिए आमंत्रित करने का अर्थ यह कदापि नहीं होगा कि आवेदक को अर्ह मान लिया गया है. चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक के अनर्ह पाये जाने पर उसका आवेदन-पत्र निरस्त कर उसकी उम्मीदवारी समाप्त की जायेगी.
6. न्यायालयीन प्रकरणों का अंतिम चयन परिणाम माननीय न्यायालय के निर्णय के अधीन रहेगा.
7. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना-फलक पर चस्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रमाणिक मानी जायेगी.

दिनेश जैन,
परीक्षा नियंत्रक.

(402-A)

विविध

निविदा सूचनाएं

दिनांक 23 मई, 2016

क्र. 02/2016-17/नि.लिपिक.—निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती है. कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाईट **https://www.mpeproc.gov.in** पर देखी जा सकती हैं:-

क्र.	निविदा क्र.	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि	अमानत राशि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	Portal Tender No. 28405	उपसंभाग आगर के अन्तर्गत रहवासीभवनों ए. आर. एस. आर. एम. ओ. डब्ल्यू. का कार्य.	10.00 (रु. दस लाख मात्र)	20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	09 माह वर्षाकाल सहित	"अ" से "स"

1	2	3	4	5	6	7
2.	Portal Tender No. 28406	उपसंभाग आगर के अन्तर्गत गैर रहवासीभवनों ए. आर. एस. आर. एम. ओ. डब्ल्यू. का कार्य.	10.00 (रु. दस लाख मात्र)	20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	09 माह वर्षाकाल सहित.	"अ" से "स"
3.	Portal Tender No. 28407	उपसंभाग सुसनेर के अन्तर्गत रहवासीभवनों ए. आर. एस. आर. एम. ओ. डब्ल्यू. का कार्य.	10.00 (रु. दस लाख मात्र)	20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	09 माह वर्षाकाल सहित.	"अ" से "स"
4.	Portal Tender No. 28408	उपसंभाग सुसनेर के अन्तर्गत गैर रहवासीभवनों ए. आर. एस. आर. एम. ओ. डब्ल्यू. का कार्य.	10.00 (रु. दस लाख मात्र)	20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	09 माह वर्षाकाल सहित.	"अ" से "स"
		योग	**40.00 लाख**			

उपरोक्त वेबसाईट पर ऑनलाईन भुगतान कर निविदा प्रपत्र (टेण्डर डॉक्युमेन्ट) वेबसाईट के माध्यम से क्रय किया जाएगा. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाईट पर देखी जा सकती है. यदि निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है तो वह प्रकाशित नहीं किया जावेगा. संशोधन वेबसाईट **https://www.mpeproc.gov.in** पर देखा जा सकता है. निविदा की प्रमुख तिथियां निम्नानुसार हैं:-

1. निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने हेतु 02 जून, 2016, 17.30 तक.
2. निविदा प्रपत्र ऑनलाईन सबमिशन हेतु **दिनांक 04 जून, 2016, 17.30 तक**
3. मूलधरोहर राशि एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 07 जून, 2016, 17.30 तक
4. फाइनेंशियल बिड खोले जाने हेतु दिनांक 08 जून, 2016, 11.00

मूल धरोहर राशि एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत न करने वाले निविदाकारों की निविदायें नहीं खोली जावेंगी.

(427)

दिनांक 23 मई, 2016

क्र. 02/2016-17 नि.लिपिक.—निम्नलिखित कार्य हेतु ऑनलाईन (Online) निविदा आमंत्रित की जाती हैं. कार्य का विस्तृत विवरण वेबसाईट **https://www.mpeproc.gov.in** पर देखी जा सकती हैं:-

क्र.	निविदा क्र.	कार्य का नाम	ठेके की अनुमानित राशि	अमानत राशि	कार्य पूर्ण करने की निर्धारित अवधि	ठेकेदार की श्रेणी
1	2	3	4	5	6	7
1.	Portal Tender No. 28409	उपसंभाग आगर के अन्तर्गत सी. डी. रिपेयर का कार्य.	10.00 (रु. दस लाख मात्र)	20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	09 माह वर्षाकाल सहित.	"अ" से "स"
2.	Portal Tender No. 28410	उपसंभाग सुसनेर के अन्तर्गत सी. डी. रिपेयर का कार्य	10.00 (रु. दस लाख मात्र)	20,000/- (रु. बीस हजार मात्र)	09 माह वर्षाकाल सहित.	"अ" से "स"
3.	Portal Tender No. 28411	संभाग आगर-मालवा के अन्तर्गत ट्रक ट्रान्सपोंटेशन का कार्य.	2.00 (रु. दो लाख मात्र)	4,000/- (रु. चार हजार मात्र)	09 माह वर्षाकाल सहित.	"अ" से "स"
		योग . .	**22.00 लाख**			

उपरोक्त वेबसाईट पर ऑनलाईन भुगतान कर निविदा प्रपत्र (टेण्डर डॉक्युमेन्ट) वेबसाईट के माध्यम से क्रय किया जाएगा. विस्तृत निविदा आमंत्रण सूचना एवं अन्य जानकारी उपरोक्त वेबसाईट पर देखी जा सकती है. यदि निविदा में किसी भी प्रकार का संशोधन किया जाता है, तो वह प्रकाशित नहीं किया जावेगा. संशोधन वेबसाईट **https://www.mpeproc.gov.in** पर देखा जा सकता है. निविदा की प्रमुख तिथियां निम्नानुसार हैं :-

1. निविदा प्रपत्र ऑनलाईन क्रय करने हेतु 02 जून, 2016, 17.30 तक.
2. निविदा प्रपत्र ऑनलाईन सबमिशन हेतु दिनांक 04 जून, 2016, 17.30 तक.
3. मूलधरोहर राशि एवं अन्य दस्तावेज **प्रस्तुत करने हेतु दिनांक 07 जून, 2016, 17.30 तक.**
4. फाइनेंशियल बिड खोले जाने हेतु दिनांक 08 जून, 2016, 11.00

मूल धरोहर राशि एवं अन्य दस्तावेज प्रस्तुत न करने वाले निविदाकारों की निविदायें नहीं खोली जावेंगी.

सुधीर कुमार गुप्ता,
कार्यपालन यंत्री लो. नि. वि. संभाग,
आगर-मालवा.

(427-A)

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय पंजीयक, लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, अनुभाग-कोतवाली, जबलपुर

प्रकरण क्र. 06/बी-113(4)/2015-16.

प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

आवेदक श्री साई दरबार ट्रस्ट/श्री साई नारायण दरबार द्वारा डॉ. टी. के. श्रीनिवासन प्रबंधक न्यासी, निवासी-877, पी.एन.टी. गेट नं. 4 के पास, जबलपुर के द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 के नियम-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 06 जून, 2016 को विचार के लिए नियत है. कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम एवं पता	:	श्री साई दरबार ट्रस्ट/श्री साई नारायण दरबार निवासी-877, पी.एन.टी. गेट नं. 4 के पास, जबलपुर.
2.	चल सम्पत्ति	:	सोना, चांदी, बर्तन एवं अनुमानित कीमत 5,00,000/- (पाँच लाख मात्र) नगद-24,89,882/- (चौबीस लाख, नवासी हजार, आठ सौ ब्यासी रुपये मात्र).
3.	अचल सम्पत्ति	:	मौजा सुनारवाडी न.ब. 425, प.ह.नं. 31, रा.नि. मं. जबलपुर-1 स्थित भूमि खसरा नं. 345 प्लाट नं. 14 एवं 15 कुल रकवा 2211 वर्गफुट.
4.	न्यास की आय का साधन	:	दान द्वारा.

(425)

प्रकरण क्र. 7/बी-113(4)/2015-16.

प्रारूप-4

[नियम 5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) के अंतर्गत]

आवेदक शिक्षा ट्रस्ट होरीजोन ट्रस्टी प्रा. लि. द्वारा डायरेक्टर श्री अशोक कुमार रतिराम लेंजीवार 112, बाई का बाग, इलाहाबाद (उ.प्र.) एवं श्री प्रदीप पाण्ड्या, 2562, राईट टाउन, जबलपुर, मध्यप्रदेश के द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम-4 के अधीन नीचे अनुसूची में दर्शाई गई संपत्ति लोक न्यास की तरह विनिर्दिष्ट कर पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

अत: एतद्द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन पर संधारित प्रकरण मेरे न्यायालय में दिनांक 13 जून, 2016 को विचार के लिए नियत है. कोई भी व्यक्ति/संस्था उक्त न्यास या संपत्ति में हित रखता हो और उसके बारे में कोई आपत्ति प्रस्तुत करने या सुझाव देने का विचार रखता हो, उसे इस सूचना के प्रकाशन के दिनांक से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन/दावा/आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है अथवा उक्त नियत दिनांक को न्यायालय में मेरे समक्ष स्वयं या अपने अभिभाषक या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत करें. उपरोक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्तियों/दावों/सुझावों पर कोई विचार के लिये ग्राह्य नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(लोक न्यास का नाम और पता तथा संपत्ति का विवरण)

1.	लोक न्यास का नाम एवं पता	:	शिक्षा ट्रस्ट होरीजोन ट्रस्टी प्रा. लि. 903, गोलबाजार, जबलपुर, पिन कोड 482002 मध्यप्रदेश.
2.	चल सम्पत्ति	:	निरंक.
3.	अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
4.	न्यास की आय का साधन	:	निरंक (Will generate in future)

अंकुर मेश्राम,
अनुविभागीय अधिकारी.

(404)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास पंजीकरण अधिकारी, श्योपुर

श्योपुर, दिनांक 23 अप्रैल, 2016

लोक न्यासों के पंजीयक, श्योपुर, जिला श्योपुर के समक्ष

यत: कि अभिषेक शर्मा पुत्र अशोक शर्मा, निवासी बडौदा रोड, श्योपुर ने मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत एक आवेदन अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए आवेदन किया है. एतद्द्वारा सूचना-पत्र दिया जाता है कि कथित आवेदन पर दिनांक 23 मई, 2016 को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जाएगा.

किसी आपत्ति या सुझाव को करने का आशय रखते हुए कथित न्यास या सम्पत्ति में हितबद्ध कोई व्यक्ति को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित कथन प्रस्तुत करना चाहिए और मेरे समक्ष उपरोक्त तारीख पर या तो व्यक्तिश: अथवा प्लीडर या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होना चाहिए. उपरोक्त अवधि के अवसान के उपरांत प्राप्त आपत्तियों को विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1.	लोक न्यास का नाम एवं पता	:	मंदिर श्री गोपाल जी पुख्ता स्थित ग्राम मिठेपुरा है तथा सम्पत्ति ग्राम मिठेपुरा, जिला श्योपुर में स्थित भूमि सर्वे क्र. 22, 23/1, 24/12 एवं 134 कुल रकवा 08 बीघा, 09 विस्वा है.

आर. के. दुबे,
अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक.

(403)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्टर्ड, पब्लिक ट्रस्ट, राज. परि. टी. टी. नगर, वृत्त भोपाल

प्र.क्र. /बी-113/2015-16.

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-(1) के अन्तर्गत]

जैसाकि श्रीमती मंजू सोनी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट द्वारा मैनेजिंग ट्रस्टी श्री स्वयं सोनी स्प्राउट्स आकृति प्री स्कूल आकृति ईको सिटी ई-8, एक्सटेंशन बावडियाकलां, भोपाल "श्रीमती मंजू सोनी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट" स्प्राउट्स आकृति प्री स्कूल आकृति ईको सिटी ई-8 एक्सटेंशन बावडियाकलां, भोपाल लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 एवं मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम-1962 के नियम-2 के तहत् एक आवेदन-पत्र अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए लोक न्यास के रूप में पंजीकृत किए जाने हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र पर मेरे न्यायालय में दिनांक 26 मई, 2016 को विचार किया जायेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट या सम्पत्ति में हित रखते हों और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हों, वह इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति अथवा सुझाव देना चाहते हों, वे इस सूचना के प्रकाशन के एक माह के अन्दर अपनी आपत्ति एवं सुझाव दो प्रतियों में मेरे समक्ष स्वयं अथवा यथा स्थिति विधिक प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर प्रस्तुत कर सकता है. उपरोक्त अवधि व्यतीत होने के उपरान्त प्राप्त आपत्तियों पर विचार में नहीं लिया जाएगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम	:	"श्रीमती मंजू सोनी मेमोरियल एजुकेशनल ट्रस्ट"
2. अचल सम्पत्ति	:	निल.
3. चल सम्पत्ति	:	1,00,000=00

आज दिनांक 07 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन पदमुद्रा से जारी की गई.

कमल सोलंकी,
रजिस्ट्रार.

(405)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, तहसील हुजूर, भोपाल

प्र.क्र. 2/बी-113/2015-16.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसा कि "श्यामा गौ सेवा संस्थान" बी-102, जे.के. टाउन, सर्वधर्म, सी सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अंतर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 16 जून, 2016 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के "एक माह" के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता	:	"श्यामा गौ सेवा संस्थान" बी-102, जे.के. टाउन, सर्वधर्म, सी सेक्टर, कोलार रोड, भोपाल.
2. अचल सम्पत्ति	:	निल.
3. चल सम्पत्ति	:	1,100/- रुपये मात्र.

आज दिनांक 12 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

(406)

प्र.क्र. 3/बी-113/2015-16.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि ''श्री वैदिक मानव सेवाश्रम न्यास (ट्रस्ट)'' 53, मंदाकिनी कॉलोनी, कोलार रोड, जिला भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 16 जून, 2016 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के ''एक माह'' के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता	:	''श्री वैदिक मानव सेवाश्रम न्यास (ट्रस्ट)'' 53, मंदाकिनी कॉलोनी, कोलार रोड, जिला भोपाल.
2. अचल सम्पत्ति	:	निल.
3. चल सम्पत्ति	:	21,000/- रुपये मात्र.

आज दिनांक 12 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

(406-A)

प्र.क्र. 01/बी-113/2015-16.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

जैसाकि ''स्व. श्री मदन गोपाल स्मृति सेवा न्यास'' ग्राम कजलीखेड़ा, पोस्ट बैरागढ़, चीचली, कोलार रोड, भोपाल की ओर से मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट, अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत अनुसूची में दर्शाई गई सम्पत्ति के पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 16 जून, 2016 को विचार में लिया जावेगा. कोई भी व्यक्ति जो उक्त ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो या कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहते हो, लिखित में दो प्रतियों में इस सूचना के प्रकाशन के ''एक माह'' के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को मेरे समक्ष स्वयं अथवा अभिभाषक के माध्यम से या अभिकर्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

1. ट्रस्ट का नाम व पता	:	''स्व. श्री मदन गोपाल स्मृति सेवा न्यास'' ग्राम कजलीखेड़ा, पोस्ट बैरागढ़, चीचली, कोलार रोड, भोपाल.
2. अचल सम्पत्ति	:	निल.
3. चल सम्पत्ति	:	2,100/- रुपये मात्र.

आज दिनांक 12 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मोहर से जारी किया गया.

माया अवस्थी,
रजिस्ट्रार.

(406-B)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, संत हिरदाराम नगर, बैरागढ़ वृत भोपाल

प्र.क्र.-4/बी-113/2015-16. भोपाल, दिनांक 22 अप्रैल, 2015

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, जिला भोपाल.

क्र.-941/रीडर/नजूल/2016.—जैसाकि आवेदक श्री रामचरण मेहर पुत्र स्व. श्री गोविन्द मेहर, निवासी ग्वालबाबा बस्ती, ग्राम बडवाई, तहसील हुजूर, जिला भोपाल द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया है.

2. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 19 मई, 2016 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति या संस्था जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह में मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्ति प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि के समाप्त होने के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	सिद्धेश्वरी माँ परमार्थ सेवा न्यास जिला मकान नं. 75, रतन कॉलोनी, ग्राम रूसल्ली करोंद बायपास, भोपाल.
अचल सम्पत्ति	:	संस्था की प्रारम्भिक अचल सम्पत्ति निरंक
चल सम्पत्ति	:	रुपये 2,100=00.

रवि कुमार सिंह,
रजिस्ट्रार.

(407)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक, लोक न्यास उपखण्ड, हटा (दमोह)

रा.प्र.क्र.-1 ब/113/2015-16. हटा, दिनांक 10 मई, 2016

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

डॉ. विजय सिंह राजपूत पिता स्व. श्री बहादुर सिंह राजपूत

निवासी-आजाद वार्ड हटा, पो. व तहसील हटा, जिला दमोह

.....आवेदक.

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1961 का नियम-5/1 के द्वारा]

यह है कि आवेदक डॉ. विजय सिंह राजपूत पिता स्व. बहादुर सिंह राजपूत, निवासी-आजाद वार्ड हटा, पो. व तहसील हटा, जिला दमोह द्वारा लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन दिनांक 28 नवम्बर, 2015 प्रस्तुत कर अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए निवेदन किया गया है, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र दिनांक 10 जून, 2016 को दिन के 12 बजे दोपहर को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतएव सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति, दावा पेश करना चाहते हैं तो वे उक्त नियत तिथि को इस न्यायालय में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित में आपत्ति स्वतः या अपने अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत अवधि के उपरांत प्राप्त दावा/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

1. लोक न्यास का नाम, पता : श्री गायत्री शक्तिपीठ, हटा, तहसील हटा, जिला दमोह (मध्यप्रदेश)
द्वारा संरक्षक, पं. श्रीराम शर्मा, आचार्य, शांतिकुंज, हरिद्वार.

2. सम्पत्ति का विवरण :

(अ) (1) मूर्तियां-माँ गायत्री, माँ दुर्गा जी और माँ सावित्री, (2) सोने का छत्र-1, मंगल-सूत्र-2, चाँदी का मुकुट-3, (3) तीन छत्र चाँदी के, (4) आरती सेट, (5) थाली, (6) कलश-8, (7) चाँदी की चूड़ी-2, (8) गले के तीन तिंदाने सोने के, (9) एक बूंदा सोने का, (10) टेबिल एक, कुर्सी 13, तखत 5, अलमारी 5 लोहे की, (11) स्पीकर सेट-3 एवं साहित्य, (12) साड़ी पोशाक-36, (13) एक किचिन सेट, (14) रसोइ गैस सेट.

(ब) (1) कृषि भूमि आबादी मौजा हटा, खास प.ह.नं. 32, रा.नि.मं. हटा, तहसील हटा, जिला दमोह, खाता क्रमांक 784, ख.नं. 65/1, 67/1 रकवा क्रमशः 0.045, 0.174 कुल रकवा 0.219 हे. यानि करीबन 23000 वर्गफुट, भूमि स्वामी का नाम-श्री 108 श्री गायत्री शक्तिपीठ, द्वारा संरक्षक, पं. श्रीराम शर्मा, आचार्य, शांतिकुंज, हरिद्वार (उ.प्र.).

(2) कृषि भूमि-मौजा हिनमतपटी, प.ह.नं. 49, ख.नं. 354 रकवा 1.60 हे.

(3) कृषि भूमि का मूल्य 8,00,000 रुपया.

(4) मंदिर, यज्ञ शाला, सभा कक्ष (प्रवचन हाल), सांस्कृतिक हाल-2 कमरा, कमरा-7 नीचे, 2 ऊपर कुल 20,00,000 रुपये से निर्मित.

(5) न्यास की आय के स्त्रोत-15000 रु. वार्षिक कृषि से, करीब 50,000 रु. चढ़ोतरी से.

(6) औसत सकल वार्षिक आय-1,10,000 रुपया.

(408)

रा.प्र.क्र.-1 ब/113/2014-15. हटा, दिनांक 10 मई, 2016

प्रारूप-4

[नियम-5 (1) देखिये]

श्रीमती सीतारानी पति स्व. रामरतन साहू

निवासी-काईखेड़ा, तहसील हटा, जिला दमोह

.....आवेदिका.

बनाम

मध्यप्रदेश शासन

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) और मध्यप्रदेश लोक न्यास नियम, 1961 का नियम-5/1 के द्वारा]

यह है कि आवेदिका श्रीमती सीतारानी पति स्व. रामरतन साह, निवासी-काईखेड़ा, तहसील हटा, जिला दमोह द्वारा लोक न्यास अधिनियम, 1951 (1951 का 30) की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन दिनांक 01 जनवरी, 2014 प्रस्तुत कर अनुसूची में विनिर्दिष्ट सम्पत्ति के लिए न्यास के रूप में पंजीकृत किये जाने के लिए निवेदन किया गया है, एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन-पत्र दिनांक 10 जून, 2016 को दिन के 12 बजे दोपहर को मेरे न्यायालय में विचार में लिया जावेगा.

अतएव सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के संबंध में आपत्ति, दावा पेश करना चाहते हैं तो वे उक्त नियत तिथि को इस न्यायालय में इस सूचना के प्रकाशन की तारीख से एक माह के भीतर दो प्रतियों में लिखित में आपत्ति स्वतः या अपने अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से प्रस्तुत कर सकते हैं, नियत अवधि के उपरांत प्राप्त दावा/आपत्तियों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

1.	लोक न्यास का नाम, पता	:	मंदिर श्री श्री 1008 श्री राधाकृष्ण जी मंदिर, मौजा काईखेड़ा, तहसील हटा, जिला दमोह प्रबंधक श्रीमती सीतारानी पति स्व. रामरतन साह, निवासी-काईखेड़ा, तहसील हटा, जिला दमोह
2.	न्यासधारी या प्रबंधक के उत्तराधिकार की रीति	:	प्रबंधक अभी आवेदिका श्री श्रीमती सीतारानी पति स्व. रामरतन साहू रहेंगे मेरे द्वारा यहां कोई औलाद नहीं है, मेरे मरने के बाद उक्त मंदिर एवं मंदिर से लगी भूमि की देखरेख मध्यप्रदेश शासन लोक न्यास, हटा की देखरेख में होगी. जब तक मैं जिन्दा हूँ, तब तक में मंदिर की देख एवं पूजा अर्चना करूंगी मेरे मरने के बाद लोक न्यास एवं अनुविभागीय अधिकारी, हटा भूमि व मंदिर की व्यवस्था शासन निर्देशों के तहत् संचालित करावें.
3.	सम्पत्ति का विवरण	:	संलग्न नक्शा अनुसार लगभग 12 लाख का मकान एवं 20 लाख की भूमि मंदिर की सामग्री लगभग 15-20 हजार की निम्नानुसार:— **1. सोने के जेवर**- (1) 10 गुरिया की माला एवं एक लाकिट राधा जी की, (2) 1 आना नथ राधा जी के लिये, (3) 10 गुरिया की दो 5-5, 10 माला श्री कृष्ण जी की. **2. चाँदी के जेवर**- (1) 1 मुरली चाँदी की श्री कृष्ण जी की, (2) 2 चूरा राधा जी के लिये, (3) 2 चूरा कंगन राधा जी के लिये 42 ग्राम, (4) 2 हार 15 ग्राम का राधा जी का, (5) 1 हार 15 ग्राम का राधा जी के लिये, (6) 2 पायलें राधा जी के लिये.

3. अन्य सामग्री- (1) तखत 1 नग, (2) पलंग पेटी बड़ी 1 नग, (3) हारमोनियम 1 नग, (4) 6 झूला, (5) 2 जोड़ी तारें, (6) फर्श 1 नग, (7) ढोलक, (8) 1 बाजा सेट.

4. कृषि भूमि- (1) मौजा काईखेड़ा स्थित भूमि ख.नं. 10, 16/2, 17 रकवा क्रमशः 0.44, 0.76, 0.80 कुल 2.00 हे. है.

नंदलाल सामरथ,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) एवं पंजीयक.

(408-A)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक, लोक न्यास, गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर

प्र.क्र.-01/बी-113/2015-16.

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) एवं पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर.

जैसाकि धूनी दरबार गढ़ी सांईखेड़ा ट्रस्ट स्थित ग्राम सांईखेड़ा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर मध्यप्रदेश द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत आवेदन-पत्र सूची में दर्शाये सम्पत्ति के अनुसार प्रायवेट ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है. एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 22 जून, 2016 को विचार में लिया जायेगा. कोई भी व्यक्ति जो ट्रस्ट में या सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो, तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के 15 दिवस के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर अपनी लिखित आपत्तियाँ प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि की समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

ट्रस्ट का नाम व पता	:	धूनी दरबार गढ़ी सांईखेड़ा ट्रस्ट स्थित ग्राम सांईखेड़ा, तहसील गाडरवारा, जिला नरसिंहपुर, मध्यप्रदेश.	
चल सम्पत्ति	:	1 चाँदी का छत्र	: अनुमानित कीमत लगभग 10 हजार रुपये.
		1 गाय	: अनुमानित कीमत लगभग 20 हजार रुपये.
		बर्तन	: अनुमानित कीमत लगभग 05 हजार रुपये.
		2 अलमारी	: अनुमानित कीमत लगभग 10 हजार रुपये.
		2 पेटी	: अनुमानित कीमत लगभग 05 हजार रुपये.
		2 बैट्री सहित इन्वर्टर	: अनुमानित कीमत लगभग 30 हजार रुपये.
		3 पानी की टंकी (सिंटेक्स)	: अनुमानित कीमत लगभग 20 हजार रुपये.
		दो कुं. की गेहूँ अनाज टंकी	: अनुमानित कीमत लगभग 10 हजार रुपये.
		6 सीलिंग फेन वर्तन	: अनुमानित कीमत लगभग 05 हजार रुपये.
		वाद्य यंत्र घंटा, झालर, तबला, पेटी	: अनुमानित कीमत लगभग 20 हजार रुपये.
		हवन आदि सामग्री	: अनुमानित कीमत लगभग 05 हजार रुपये.
		चल सम्पत्ति का कुल योग 1,40,000/- रुपये.	
अचल सम्पत्ति	:	भवन, मकान आदि का विवरण :—	
		मंदिर एवं भवन 200×200 =40000 वर्ग फिट, वर्तमान अनुमानित लागत 50 लाख रुपये.	

ट्रस्ट की कुल परिसंपत्तियों का अनुमानित मूल्य 51,40,000/-रुपये.

जे. पी. सैयाम,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(409)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट (ग्रामीण), रतलाम

क्र./01/बी-113(1)/2015-16. रतलाम, दिनांक 16 मई, 2016

फार्म-4

[नियम-5(1)देखिए]

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 की धारा-4(2) के तहत]

क्र.1024/आर-3/2016.—आवेदक अध्यक्ष गिरजा शंकर पिता शिवशंकर ब्राहम्मण एवं अन्य निवासी-ग्राम बिरमावल के द्वारा मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 के अन्तर्गत ''ग्राम मांगरोल में राज भव्य शीतल धार्मिक चेरिटेबल ट्रस्ट'' के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

2. अतएव जिस किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट या उसकी सम्पत्ति के प्रति रुचि हो, अथवा आपत्ति हो, तो प्रकरण में नियत दिनांक 16 जून, 2016 को इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की प्रतियां प्रस्तुत करें और स्वयं या अपने अधिवक्ता अथवा एजेन्ट के द्वारा प्रातः 11 बजे नियत दिनांक को उपस्थित होवें. निर्धारित समय समाप्त होने पर प्रस्तुत आवेदन-पत्र पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता तथा सम्पत्ति का विवरण)

न्यास का पूरा नाम	..	''काशी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट पंजीयन''.
अचल सम्पत्ति	..	भूमि रकबा 1.40 हे.
चल सम्पत्ति	..	2904632/-

अनुसूची-ब

चल सम्पत्ति का विवरण

काशी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट ग्राम बिरमावल, जिला रतलाम मध्यप्रदेश हेतु सेन्ट्रल बैंक ऑफ इण्डिया, शाखा रतलाम बिरमावल, जिला रतलाम के बैंक एकाउण्ट नम्बर 3256131429 एवं एफ. डी. खाता क्रमांक 3447648328, 3261146600, 3258805057, 3318194733, 3513923558, 3413017346 कुल राशि 2904632 जमा है.

अनुसूची-अ

अचल सम्पत्ति का विवरण

काशी विश्वनाथ धाम ट्रस्ट ग्राम बिरमावल, जिला रतलाम मध्यप्रदेश में कृषि भूमि खाता नम्बर 106/2005, खसरा नम्बर 347/4 भूमि रकबा 1.40 हेक्टयर है.

नेहा भारतीय,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(410)

न्यायालय रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, इन्दौर

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अंतर्गत]

श्री अब्दुल हफीज अशरफी, पता- 7/3, झलारिया रोड, खानकाह अशरफी नगर, खजराना, इन्दौर, जिला इन्दौर के द्वारा आवान ट्रस्ट इन्टरनेशनल, कार्यालय पता 259, शेरशाह सूरी नगर, खजराना, इन्दौर मध्यप्रदेश जिला इन्दौर के द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता एवं चल/अचल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	आवान ट्रस्ट इन्टरनेशनल.
पता	:	कार्यालय-259, शेरशाह सूरी नगर, खजराना, इन्दौर (मध्यप्रदेश).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रुपये 5,000/- (अक्षरी रुपये पांच हजार मात्र).

आज दिनांक 06 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(411)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अंतर्गत]

आवेदक हेमचन्द्र जैन पिता श्री कपूरचंद जैन, पता-29-30, उत्कर्ष विहार, मनीषपुरी के पास, इन्दौर अन्य-4 द्वारा श्री शांतिनाथ दि. जैन मंदिर समिति ट्रस्ट, कार्यालय पता-62, शीतलनगर ग्राम-खजराना (उत्कर्ष विहार) इन्दौर मध्यप्रदेश जिला इन्दौर के द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री शांतिनाथ दि. जैन मंदिर समिति ट्रस्ट.
पता	:	कार्यालय-62, शीतलनगर ग्राम-खजराना (उत्कर्ष विहार) इन्दौर (मध्यप्रदेश).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति में रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र) हैं.

आज दिनांक 06 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(411-A)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अंतर्गत]

आवेदक मनोज पिता रामगोपाल जोशी, पता-112/2, बैराठी कॉलोनी, इन्दौर अन्य-10 द्वारा श्रीगौड़ विद्या मंदिर संस्था, इन्दौर कार्यालय पता-40, रावजी बाजार मेन रोड, जूनी, इन्दौर मध्यप्रदेश, जिला इन्दौर के द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	श्रीगौड़ विद्या मंदिर संस्था, इन्दौर.
पता	:	कार्यालय-40, रावजी बाजार मेन रोड, जूनी, इन्दौर (मध्यप्रदेश).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	नगद के रूप में रुपये 1,30,906/- (अक्षरी रुपये एक लाख तीस हजार नौ सो छः मात्र) हैं तथा ट्रस्ट डीड अनुसार कुल चल सम्पत्ति मूल्याकंन राशि 61,12,174/- है.

आज दिनांक 06 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(411-B)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अंतर्गत]

आवेदक हॅप्पी वाण्डरर्स, इन्दौर तर्फे अध्यक्ष श्री सुधाकर ऊद्धवरेषे अन्य-4, पता-296, अनूप नगर, इन्दौर द्वारा हॅप्पी वाण्डरर्स, इन्दौर कार्यालय पता-296, अनूप नगर इन्दौर मध्यप्रदेश, जिला इन्दौर के द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	हॅप्पी वाण्डरर्स, इन्दौर.
पता	:	कार्यालय-296, अनूप नगर, इन्दौर मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	चल सम्पत्ति में रुपये 11,000/- (अक्षरी रुपये ग्यारह हजार मात्र) हैं.

आज दिनांक 06 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

(411-C)

(फार्म-चार)

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट एक्ट, 1951 (तीस) (95) की धारा-5 (2) व मध्यप्रदेश ट्रस्ट नियम, 1963 नियम-5 (1) के अंतर्गत]

श्री नरेन्द्र पिता मूलचंद जैन अन्य-12 पता-प्लाट नम्बर 10, उदय नगर, बंगाली चौराहा के पास इन्दौर, जिला इन्दौर के द्वारा आचार्य श्री विद्यासागर पारमार्थिक न्यास कार्यालय पता-प्लाट नं. 10, उदय नगर, बंगाली चौराहा के पास, इंदौर मध्यप्रदेश जिला इन्दौर के द्वारा पब्लिक ट्रस्ट एक्ट की धारा-4 के अन्तर्गत पब्लिक ट्रस्ट के पंजीयन हेतु आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया है.

अतः सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई भी व्यक्ति उक्त ट्रस्ट एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह नोटिस के राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात् (30 दिन) के अंदर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक अथवा अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से आपत्ति दो प्रतियों में प्रस्तुत कर सकते हैं अथवा पंजीकृत डाक द्वारा भी प्रेषित कर सकते हैं.

निश्चित अवधि के उपरांत प्राप्त आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

परिशिष्ट

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम और पता एवं अचल-चल सम्पत्ति का विवरण)

ट्रस्ट का नाम	:	आचार्य श्री विद्यासागर पारमार्थिक न्यास.
पता	:	कार्यालय-प्लाट नं. 10, उदय नगर, बंगाली चौराहा के पास, इंदौर (मध्यप्रदेश).
अचल सम्पत्ति	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	रु. 1,43,000/- (अक्षरी रुपये एक लाख त्रियालिस हजार मात्र).

आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से प्रसारित किया गया.

अजीत कुमार श्रीवास्तव,
रजिस्ट्रार.

(411-D)

अन्य सूचनाएं

मध्यप्रदेश शासन

सामान्य प्रशासन विभाग

मंत्रालय

(आदेश)

भोपाल, दिनांक 25 मई, 2015

क्र. ई-1/169/2016/5/एक.—**श्री अशोक कुमार शाह,** भाप्रसे (1990) को उनके द्वारा प्रस्तुत आवेदन के संबंध में भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली के ओ. एम. क्रमांक 19016/1/87-Estt. (A), दिनांक 12 मार्च, 1987 में निहित प्रावधानानुसार अपने नाम "श्री अशोक कुमार शाह" (Shri Ashok Kumar Shah) को परिवर्तित कर अब "**श्री अशोक शाह**" (Shri Ashok Shah) करने की अनुमति प्रदान की जाती है. तद्नुसार सभी कार्यालयीन प्रजोजनों के लिये अब उन्हें "**श्री अशोक शाह**" (Shri Ashok Shah) नाम से जाना जाएगा.

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
ॲन्टोनी डिसा,
मुख्य सचिव,
मध्यप्रदेश शासन.

(426)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांकव दिनांक
1	2	3	4
1.	विध्या विहार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	172/09-03-1990	1504/24-08-2015
2.	ग्वालियर दूरसंचार गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	181/09-02-1997	1504/24-08-2015
3.	दलितवर्ग गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	62/27-10-1975	2990/19-11-2014
4.	महर्षि बाल्मीकि गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	141/20-01-1988	2451/24-11-2012
5.	सुदर्शन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	232/31-10-1975	2460/24-11-2012

1	2	3	4
6.	नव दुर्गा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	393/28-08-2005	1113/31-03-2016
7.	संजय गांधी गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	101/10-05-1982	1114/31-03-2016
8.	महिला होजरी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	926/29-03-2003	1090/30-03-2016
9.	जग्रति महिला साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	872/31-12-1997	1005/29-03-2016
10.	अंकुर प्राथ. मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	986/01-07-2009	1923/15-10-2015
11.	महिला प्राथ. मुद्रणालय सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	281/21-00-2000	964/21-03-2016
12.	शुभारम्भिका गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	187/08-02-1992	1509/24-03-2015

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 13 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

बी. एल. गुप्ता,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(412)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांक व दिनांक
1	2	3	4
1.	गंगा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	394/24-10-2005	1124/31-03-2016
2.	अटल गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	371/11-06-2004	1125/31-03-2016
3.	अरिहंत गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	249/05-06-1996	1122/31-03-2016
4.	युवा गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	322/31-03-2011	1174/07-04-2016
5.	नैनां रैगजीन सिलाई उद्योग सह. संस्था गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर.	363/21-10-2003	1174/07-04-2016

1	2	3	4
6.	कालिन्दी उद्योग सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	390/11-03-2005	1001/29-03-2016
7.	दि. टैलीग्राफ क्रेडिट एम्प्लाई सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	356/30-12-1996	1093/30-03-2016
8.	महा माई दुर्गा महिला बहु. सहकारी संस्था मर्या., किटोरा पिछौर	963/16-07-2004	1066/30-30-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप/सहायक पंजीयक, अंकेक्षण सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 16 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

एफ. ए. खॉन,
परिसमापक एवं वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक.

(413)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक, सहकारी समितियां, ग्वालियर

(मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम, 1962 के नियम-57 सी के अन्तर्गत)

उप/सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला ग्वालियर द्वारा निम्नलिखित सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	परिसमापन आदेश क्रमांकव दिनांक
1	2	3	4
1.	भूतपूर्व सैनिक कल्याण साख सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	567/31-08-1991	1113/30-06-2010
2.	अर्पित गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	312/20-09-2002	1113/30-06-2010
3.	सीमा सुरक्षा पुनर्वास साख सहकारी संस्था, ग्वालियर	887/05-04-1999	1355/06-08-2015
4.	ऊन बुनकर सहकारी संस्था मर्या., पिछोर	142/12-12-1954	1355/06-08-2015
5.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सूखापटा	539/31-03-1990	1355/06-08-2015
6.	तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., गिजोर्रा	535/31-03-1990	1355/06-08-2015
7.	रविन्द्र नाथ टेगोर गृह निर्माण सहकारी संस्था, ग्वालियर	01/19-08-1959	1924/15-10-2015
8.	साया गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., ग्वालियर	241/17-01-1996	1129/31-03-2016
9.	संकट मोचन गृह निर्माण सहकारी संस्था, ग्वालियर	36/12-08-1971	1139/31-03-2016
10.	महिला विकास साख सहकारी संस्था, ग्वालियर	851/02-09-1996	1007/29-03-2016

सहकारी अधिनियम की धारा-71 (1) के अंतर्गत परिसमापन दिनांक से संस्थाओं की समस्त आस्तियां परिसमापक में वेष्ठित हो गई हैं. अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी नियम-1962 के नियम-57 (सी) के अंतर्गत उक्त सहकारी संस्थाओं के विरुद्ध दावों को इस सूचना-पत्र के जारी करने के दिनांक से 60 दिवस के अंदर मय प्रमाण के यदि कोई हो, तो लिखित रूप से मेरे कार्यालय उप पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला ग्वालियर में कार्यालयीन दिवसों में दोपहर 12.00 से 3.00 बजे तक प्रस्तुत करें, त्रुटि की दशा में साहूकारगण/दावेदारगण/सदस्यगण किसी भी लाभ के बंटवारे से वंचित होने से दायित्वाधीन होंगे, समयावधि उपरान्त उनके कोई दावे एवं आपत्तियां मान्य नहीं होंगी तथा संस्था की लेखा पुस्तकों में लेखबद्ध दायित्व स्वयमेव मुझे प्रस्तुत किये गये समझे जावेंगे.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख या आस्तियां, डेडस्टॉक, संस्था का रिकॉर्ड किसी के पास हो, तो अविलम्ब अधोहस्ताक्षरकर्ता को सौंपे यदि बाद में ज्ञात होता है कि किसी के द्वारा जानबूझकर आस्तियों या अभिलेख एवं रिकॉर्ड, डेडस्टॉक नहीं सौंपे गये हैं तो सम्बंधित के विरुद्ध उनको वसूलने हेतु विधिवत् वैधानिक कार्यवाही की जावेगी, जिसकी सम्पूर्ण जवाबदारी सम्बन्धित की रहेगी.

यदि उक्त संस्थाओं के अभिलेख एवं आस्तियाँ समस्त प्रयासों के बावजूद प्राप्त नहीं होती हैं तो दावेदारों/साहूकारों/सदस्यों के दावे, आपत्तियों का निराकरण गत वर्षों के वित्तीय पत्रकों में दर्शाई गई लेनदारी एवं देनदारी की प्रविष्टियां बोगस/शून्यकाल मानकर तदानुसार पंजीयन निरस्ती हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत कर सक्षम अधिकारी के अनुमोदन से पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावेगी.

यह सूचना-पत्र आज दिनांक 18 मई, 2016 को मेरे हस्ताक्षर से जारी किया गया.

के. सी. शर्मा,
परिसमापक एवं सहकारी निरीक्षक.

(414)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला सिंगरौली

सिंगरौली, दिनांक 27 अप्रैल, 2016

क्र./परि./2016/397.—जिले में पंजीकृत विभिन्न सहकारी संस्थाओं के उन्हें अकार्यशील होने से परिसमापन में लाये जाने हेतु नीचे दर्शित विभिन्न कार्यालय के पत्रों से सहकारी विधान की धारा-69 (2) तहत सूचना-पत्र जारी किया जाकर निर्धारित दिनांकों को यथेष्ट उत्तर चाहा गया था. किन्तु निर्धारित दिनांकों को इन संस्थाओं द्वारा कोई उत्तर/जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-(2) के तहत मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक-एफ-5-1-99-1-सी, दिनांक 16 फरवरी, 2009 से प्राप्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुये मैं बी. एस. परते, उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला सिंगरौली मध्यप्रदेश नीचे उल्लेखित निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाता हूँ तथा सहकारी विधान की धारा-70 (1) अंतर्गत संस्थाओं के समक्ष में दर्शित अंकेक्षण अधिकारियों/वरिष्ठ सहकारी निरीक्षकों/सहकारी निरीक्षकों/उप-अंकेक्षकों को परिसमापक नियुक्त कर निर्देशित करता हूँ कि परिसमापनाधीन संस्था का सहकारी अधिनियम/नियम के प्रावधानों के तहत परिसमापन की कार्यवाही सम्पन्न कर 30 दिवस में अंतिम प्रतिवेदन इस कार्यालय में प्रस्तुत करें :-

क्र.	नाम संस्था	पंजीयन क्र./दिनांक	सूचना पत्र क्र./दिनांक	परिसमापक का नाम एवं पद
1	2	3	4	5
1.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोनी	263/14-07-2015	57/11-01-2016	श्री ए. डी. बघेल, सह. निरीक्षक.
2.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दुधमनिया	264/14-07-2015	58/11-01-2016	श्री ए. डी. बघेल, सह. निरीक्षक.
3.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पोखरी टोला	265/14-07-2015	59/11-01-2016	श्री ए. डी. बघेल, सह. निरीक्षक.
4.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जोगिनी	266/14-07-2015	60/11-01-2016	श्री ए. डी. बघेल, सह. निरीक्षक.
5.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चिनगी टोला	267/14-07-2015	61/11-01-2016	श्री पी. के. मिश्रा, व.स.नि.

1	2	3	4	5
6.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अजनी	268/14-07-2015	62/11-01-2016	श्री आर. एस. गुप्ता, व.स.नि.
7.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गहिलरा	269/14-07-2015	63/11-01-2016	श्री पी. के. मिश्रा, व.स.नि.
8.	शकुन बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., जमगढी.	270/14-07-2015	64/11-01-2016	श्री आर. एस. शर्मा, सह. निरीक्षक.
9.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मलगा	272/14-07-2015	66/11-01-2016	श्री आर. के. वर्मा, अंके. अधिकारी.
10.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., शेरवा	274/14-07-2015	67/11-01-2016	श्री आर. एस. गुप्ता, व.स.नि.
11.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., दुअरा	275/14-07-2015	68/11-01-2016	श्री आर. एस. गुप्ता, व.स.नि.
12.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., अमिलिया	276/14-07-2015	69/11-01-2016	श्री आर. के. वर्मा, अंके. अधिकारी.
13.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मलगो	277/14-07-2015	70/11-01-2016	श्री आर. एस. शर्मा, सह. निरीक्षक.
14.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चिनगो	278/14-07-2015	71/11-01-2016	श्री एस. एस. सिंह, अंके. अधि.
15.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बगैया	279/14-07-2015	72/11-01-2016	श्री आर. एस. गुप्ता, व.स.नि.
16.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., लमसरई	280/14-07-2015	73/11-01-2016	श्री व्ही. डी. मिश्रा, व.स.नि.
17.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., रेही	281/14-07-2015	74/11-01-2016	श्री व्ही. डी. मिश्रा, व.स.नि.
18.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बैरदह	282/14-07-2015	75/11-01-2016	श्री व्ही. डी. मिश्रा, व.स.नि.
19.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धरौली कला	283/14-07-2015	76/11-01-2016	श्री व्ही. डी. मिश्रा, व.स.नि.
20.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पराई	284/14-07-2015	93/20-01-2016	श्री आर. के. निगम, उप अंके.
21.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., धवई	285/14-07-2015	94/20-01-2016	श्री आर. के. निगम, उप अंके.
22.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बगदरा	286/14-07-2015	95/20-01-2016	श्री आर. के. निगम, उप अंके.
23.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घोघरा	287/14-07-2015	96/20-01-2016	श्री आर. के. निगम, उप अंके.

1	2	3	4	5
24.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कोरसर	288/14-07-2015	97/20-01-2016	श्री आर. के. निगम, उप अंके.
25.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., इटमा	289/14-07-2015	98/20-01-2016	श्री एस. एस. सिंह, अंके. अधि.
26.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बंजारी	290/14-07-2015	99/20-01-2016	श्री ए. डी. बघेल, सह. निरीक्षक.
27.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुर्सा	291/14-07-2015	100/20-01-2016	श्री वाई बी तेली, व.स.नि.
28.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., सरौधा	292/14-07-2015	101/20-01-2016	श्री वाई बी तेली, व.स.नि.
29.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., गन्नई	293/14-07-2015	102/20-01-2016	श्री वाई बी तेली, व.स.नि.
30.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., पिपरा	294/14-07-2015	103/20-01-2016	श्री आर. के. वर्मा, अंके. अधि.
31.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., चूडीपाठ	295/14-07-2015	104/20-01-2016	श्री आर. के. वर्मा, अंके. अधि.
32.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., मेढौली	296/14-07-2015	105/20-01-2016	श्री पी. के. मिश्रा, व.स.नि.
33.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., कुकराव	297/14-07-2015	106/20-01-2016	श्री वाई बी तेली, व.स.नि.
34.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., बरका	298/14-07-2015	107/20-01-2016	श्री आर. के. वर्मा, अंके. अधि.
35.	जय अम्बे महिला सह. उप. भण्डार मर्या., धुरीताल (नवानगर).	763/04-09-1998	110/20-01-2016	श्री पी. के. मिश्रा, व.स.नि.
36.	शारदा प्राथ. महिला सह. उप. भण्डार मर्या., कचनी.	764/09-09-1998	111/20-01-2016	श्री पी. के. मिश्रा, व.स.नि.
37.	आदिवासी बहुधंधी सह. समिति मर्या., चितरंगी.	180/16-02-1962	112/20-01-2016	श्री आर. एस. गुप्ता, व.स.नि.
38.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., महरैल	184/29-03-2014	114/20-01-2016	श्री व्ही. डी. मिश्रा, व.स.नि.
39.	बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्या., झारा	183/29-03-2014	115/20-01-2016	श्री वाई बी तेली, व.स.नि.

यह आदेश आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

बी. एस. परते,
उप-पंजीयक.

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार

धार, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/652.—धारेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., धार, तहसील व जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 384, दिनांक 21 मई, 1994 है, संस्था के द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के चार माह पूर्व विधिवत दस्तावेजों के साथ निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, किन्तु लंबी अवधि पश्चात् भी निर्वाचन के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (ख) अन्तर्गत प्रशासक की नियुक्ति की जाकर 06 माह में संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया गया था. प्रशासक द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था पंजीकृत पते पर नहीं होने व अध्यक्ष श्री कपिल चौहान, से संपर्क नहीं होने के कारण संस्था को परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित किया गया है. इस प्रकार संस्था अधिनियम के उक्त प्रावधान का घोर उल्लंघन कर रही है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है. जिससे उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होगा.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए धारेश्वर गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री विकास खराड़े, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(416)

धार, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/653.—मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., माण्डव, तहसील व जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 323, दिनांक 30 मार्च, 1967 है, संस्था के द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के चार माह पूर्व विधिवत दस्तावेजों के साथ निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, किन्तु लंबी अवधि पश्चात् भी निर्वाचन के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (ख) अन्तर्गत प्रशासक की नियुक्ति की जाकर 06 माह में संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया गया था. किन्तु प्रशासक को भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही प्रस्ताव तैयार करने में सहयोग दिया गया. इस प्रकार संस्था अधिनियम के उक्त प्रावधान का घोर उल्लंघन कर रही है. इस कारण प्रशासक द्वारा उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है. जिससे उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होगा.

अतः मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., माण्डव को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री भूदीप सक्सेना, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(416-A)

धार, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/654.—आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., भीलकुण्डा, तहसील व जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 1039, दिनांक 23 जून, 1999 है, संस्था के द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के चार माह पूर्व विधिवत दस्तावेजों के साथ निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, किन्तु लंबी अवधि पश्चात् भी निर्वाचन के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (ख) अन्तर्गत प्रशासक की नियुक्ति की जाकर 06 माह में संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित

किया गया था. किन्तु प्रशासक को भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही प्रस्ताव तैयार करने में सहयोग दिया गया. इस प्रकार संस्था अधिनियम के उक्त प्रावधान का घोर उल्लंघन कर रही है. इस कारण प्रशासक द्वारा उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है. जिससे उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होगा.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए आदिवासी मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्या., भीलकुण्डा, तहसील व जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री सी. बी. पाण्डे, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(416-B)

धार, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/655.—रुपमति प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., माण्डव, तहसील व जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 1246, दिनांक 19 अगस्त, 2008 है, संस्था के द्वारा संचालक मण्डल का कार्यकाल पूर्ण होने के चार माह पूर्व विधिवत दस्तावेजों के साथ निर्वाचन प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने का प्रावधान है, किन्तु लंबी अवधि पश्चात् भी निर्वाचन के प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-49 (7-क), (ख) अन्तर्गत प्रशासक की नियुक्ति की जाकर 06 माह में संचालक मण्डल के निर्वाचन सम्पन्न कराने हेतु निर्देशित किया गया था. किन्तु प्रशासक को भी रिकार्ड उपलब्ध नहीं कराया गया और न ही प्रस्ताव तैयार करने में सहयोग दिया गया. इस प्रकार संस्था अधिनियम के उक्त प्रावधान का घोर उल्लंघन कर रही है. इस कारण प्रशासक द्वारा उक्त संस्था को परिसमापन में लाये जाने हेतु प्रस्तावित किया गया है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम 1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है. जिससे उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होगा.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए रुपमति प्राथमिक सहकारी उपभोक्ता भण्डार मर्या., माण्डव को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री भूदीप सक्सेना, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(416-C)

धार, दिनांक 25 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2016/656.—तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुन्दैल, तहसील धरमपुरी, जिला धार जिसका पंजीयन क्रमांक 608, दिनांक 24 अगस्त, 1984 है, कार्यालयीन जानकारी अनुसार संस्था अकार्यशील होकर बंद पड़ी है, संस्था के संचालक मण्डल की बैठक/आमसभा आहूत नहीं की जा रही है, वित्तीय पत्रक निर्धारित समयावधि में पंजीयक को प्रस्तुत नहीं किये जाते हैं, संस्था की वित्तीय स्थिति ठीक न होकर भविष्य में सुधार की संभावना नहीं है, संस्था ने अधिनियम, नियम व उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है तथा संस्था अकार्यशील होने के कारण सदस्यों की रूचि नहीं है. संस्था मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 एवं नियम-1962 तथा पंजीकृत उपविधियों के प्रावधानों का पालन नहीं कर रही है. इससे स्पष्ट होता है कि संस्था अकार्यशील होकर अपने उद्देश्य के अनुरूप कार्य नहीं कर रही है. जिससे उक्त संस्था को परिसमापन में लाया जाना उचित होगा.

अत: मैं, ओ. पी. गुप्ता, उप-रजिस्ट्रार, सहकारी सोसायटी, जिला धार मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त पंजीयक की शक्तियों का प्रयोग करते हुए तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सुन्दैल, तह. धरमपुरी, जिला धार को मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत परिसमापन में लाते हुए धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री संजय चतुर, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 25 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

ओ. पी. गुप्ता,
उप-रजिस्ट्रार.

(416-D)

कार्यालय उपायुक्त सहकारिता, जिला शहडोल

शहडोल, दिनांक 22 अप्रैल, 2016

(मध्यप्रदेश सहकारी समितियाँ अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत)

क्र./परि./2016/400.—मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत संस्था सोनाली महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,कल्याणपुर जिसका पंजीयन क्रमांक 1010, दिनांक 19 फरवरी, 2002 है. कार्यालयीन पत्र क्रमांक/परिसमापन/2015/1107, शहडोल, दिनांक 29 दिसम्बर, 2015 द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया था. परन्तु पर्याप्त अवसर देने पर भी संस्था की ओर से समयावधि में कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ :—

1. संस्था ने वर्ष 2013-14, 14-15 एवं 15-16 का अंकेक्षण नहीं करवाया गया जबकि अंकेक्षण प्रतिवर्ष सम्पन्न हो जाना चाहिए था. अंकेक्षण न कराने से शासकीय राजस्व की हानि हुई है.
2. संस्था द्वारा सदस्यों के हित में वृद्धि हेतु कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्यों के अनुरूप कोई कार्य नहीं किया जा रहा है.
3. संस्था द्वारा नियमानुसार संचालक मण्डल की बैठकें आयोजित नहीं की जाती हैं, संस्था ने वार्षिक आम सभा सम्पन्न नहीं की जा रही है.

अतः मैं, बी. एस. परते, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, शहडोल को सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक एफ/5-1-99/पन्द्रह-एक-डी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुये मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत सोनाली महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या.,कल्याणपुर, विकासखण्ड सोहागपुर, जिला शहडोल को परिसमापन में लाता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. एल. गुप्ता, सहकारिता विस्तार अधिकारी को उक्त परिसमापित संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूँ. श्री ए. एल. गुप्ता शीघ्र ही संस्था का रिकार्ड अपने प्रभार में लेकर सहकारी विधान की धारा-71 के अन्तर्गत कार्यवाही प्रारम्भ करते हुये अंतिम प्रतिवेदन अपने स्पष्ट अभिमत के साथ आदेश जारी होने के तीन माह के अन्दर अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करें.

यह आदेश आज दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया.

बी. एस. परते,
उपायुक्त (सहकारिता).

(417)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 27 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2015/852.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परिसमापन/679, होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014 के द्वारा श्रीकृष्ण सुदर्शन प्राथ. उप. भण्डार, जिला होशंगाबाद पंजीयन क्रमांक 2546, दिनांक 22 जनवरी, 1996 है को मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अंतर्गत विनीता चौधरी, सहकारी निरीक्षक, कार्यालय सहा. आयुक्त (अंके.) सहकारिता होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त किया गया है.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है. संस्था के परिसमापक द्वारा की गई कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुँचा हूँ कि परिसमापन संस्था के लेनदारी-देनदारी का निपटारा हो जाने तथा अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत हो जाने से संस्था को अस्तित्व में बने रहने का कोई औचित्य नहीं है तथा संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अतः मैं, के. पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) की रजिस्ट्रार सहकारी सोसासटी मध्यप्रदेश की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-2-2010, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा प्रदत्त हैं का प्रयोग करते हुये श्रीकृष्ण सुदर्शन भण्डार, पंजीयन क्रमांक 2546, दिनांक 22 जनवरी, 1996 के निगमित निकाय (कार्पोरेट बाडी) को विघटित कर संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 27 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

के. पाटनकर,
उप-पंजीयक.

(418)

कार्यालय उप आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/803.—न्यू आदर्श प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, सोनकच्छ, पंजीयन क्रमांक 723, दिनांक 04 मार्च, 1995 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए न्यू आदर्श प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, सोनकच्छ, पंजीयन क्रमांक 723, दिनांक 04 मार्च, 1995 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. के. तिवारी, सह. निरी. को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/804.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपल्या भचोड़, पंजीयन क्रमांक 1081, दिनांक 02 अगस्त, 2004 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पिपल्या भचोड़, पंजीयन क्रमांक 1081, दिनांक 02 अगस्त, 2004 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. डी. पंथी, पर्यवेक्षक इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-A)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/805.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुमराखेड़ा खान, पंजीयन क्रमांक 583, दिनांक 05 नवम्बर, 1985 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह

स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुमराखेड़ा खान, पंजीयन क्रमांक 583, दिनांक 05 नवम्बर, 1985 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. के. राठौर, पर्यवेक्षक इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-B)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/806.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ढाबका खालसा, पंजीयन क्रमांक 1275, दिनांक 25 जुलाई, 2012 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, ढाबका खालसा, पंजीयन क्रमांक 1275, दिनांक 25 जुलाई, 2012 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. पी. द्विवेदी, पर्यवेक्षक इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-C)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/807.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मातमोर, पंजीयन क्रमांक 311, दिनांक 18 नवम्बर, 1976 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मातमोर, पंजीयन क्रमांक 311, दिनांक 18 नवम्बर, 1976 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. खरे, पर्यवेक्षक इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-D)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/808.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित घटिया भाना, पंजीयन क्रमांक 317 दिनांक 18 मार्च, 1978(जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, घटिया भाना, पंजीयन क्रमांक 317, दिनांक 18 मार्च, 1978 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. पी. द्विवेदी, पर्यवेक्षक इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-E)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/809.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, मोरूखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 548, दिनांक 7 मई, 1980 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित,मोरूखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 548, दिनांक 7 मई, 1980 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री जी. एस. जैन, पर्यवेक्षक इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-F)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/810.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रिछड़िया, पंजीयन क्रमांक 665, दिनांक 25 अगस्त, 1989 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रिछड़िया,

पंजीयन क्रमांक 665, दिनांक 25 अगस्त, 1989 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-G)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/811.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कैलोद, पंजीयन क्रमांक 744, दिनांक 29 अक्टूबर, 1991 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कैलोद, पंजीयन क्रमांक 744, दिनांक 29 अक्टूबर, 1991 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. आर. शेख, पर्यवेक्षक इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-H)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/812.—दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आम गुराड़िया , पंजीयन क्रमांक 1140, दिनांक 15 मई, 2006 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आम गुराड़िया , पंजीयन क्रमांक 1140, दिनांक 15 मई, 2006 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. डी. पंथी, पर्यवेक्षक इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-I)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/813.—बादशाह प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 927, दिनांक 7 मार्च , 2001 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने

के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बादशाह प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 927, दिनांक 7 मार्च , 2001 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पर्वतसिंह निगवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-J)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/814.—सुमन श्री प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1121, दिनांक 23 मार्च, 2006 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सुमन श्री प्राथ. उपभोक्ता सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1121, दिनांक 23 मार्च, 2006 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र आर्य, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-K)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/815.—शंखेश्वर प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1096, दिनांक 25 मई, 2005 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शंखेश्वर प्राथ. उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1096, दिनांक 25 मई, 2005 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. के. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-L)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/816.—गंगा धारा आदिवासी विस्थापित मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, रोहन्या, पंजीयन क्रमांक 1300, दिनांक 19 मार्च, 2013 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए गंगा धारा आदिवासी विस्थापित मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, रोहन्या, पंजीयन क्रमांक 1300, दिनांक 19 मार्च, 2013 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-M)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/817.—श्री ओम सांईराम आदिवासी विस्थापित मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, सुरलाय, पंजीयन क्रमांक 1301, दिनांक 19 मार्च, 2013 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री ओम सांईराम आदिवासी विस्थापित मछुआ सहकारी संस्था मर्यादित, सुरलाय, पंजीयन क्रमांक 1301, दिनांक 19 मार्च, 2013 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-N)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/818.—आशा साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1492, दिनांक 9 अक्टूबर, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-

5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए आशा साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1492, दिनांक 9 अक्टूबर, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. बाल्के, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-O)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/819.—जय श्री बलराम बीज सहकारी संस्था मर्यादित, सुनपानी गोपाल, पंजीयन क्रमांक 1425, दिनांक 29 नवम्बर, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय श्री बलराम बीज सहकारी संस्था मर्यादित, सुनपानी गोपाल, पंजीयन क्रमांक 1425, दिनांक 29 नवम्बर, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-P)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/820.— मां क्षिप्रा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुमारिया, पंजीयन क्रमांक 1532, दिनांक 19 जनवरी, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मां क्षिप्रा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुमारिया, पंजीयन क्रमांक 1532, दिनांक 19 जनवरी, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-Q)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/821.— ऋषि महाराज बीज सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा सोमा, पंजीयन क्रमांक 1546, दिनांक 16 फरवरी, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी

अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ऋषि महाराज बीज सहकारी संस्था मर्यादित, बरखेड़ा सोमा, पंजीयन क्रमांक 1546, दिनांक 16 फरवरी, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री आर. के. सोनी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-R)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/822.— मयूर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, महुखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 1549, दिनांक 27 फरवरी, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मयूर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, महुखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 1549, दिनांक 27 फरवरी, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. एस. बाल्के, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-S)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/823.—श्री बलदाऊ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सामगी, पंजीयन क्रमांक 1552, दिनांक 7 मार्च, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का ज़वाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री बलदाऊ बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सामगी, पंजीयन क्रमांक 1552, दिनांक 7 मार्च, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. सी. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-T)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/824.— श्री विनायक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, विक्रमपुर, पंजीयन क्रमांक 1553, दिनांक 07 मार्च, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री विनायक बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, विक्रमपुर, पंजीयन क्रमांक 1553, दिनांक 07 मार्च, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. सी. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-U)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/825.— नागर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुनाई, पंजीयन क्रमांक 1558, दिनांक 18 मार्च, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नागर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गुनाई, पंजीयन क्रमांक 1558, दिनांक 18 मार्च, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. सी. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-V)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/826.—शिवकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नांदेल, पंजीयन क्रमांक 1562, दिनांक 26 मई, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-

5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिवकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, नांदेल, पंजीयन क्रमांक 1562, दिनांक 26 मई, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. सी. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-W)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/827.— दुर्गापुरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दुर्गापुरा, पंजीयन क्रमांक 1565, दिनांक 26 मई, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुर्गापुरा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, दुर्गापुरा, पंजीयन क्रमांक 1565, दिनांक 26 मई, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. सी. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-X)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/828.—कंचन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पत्थर गुराड़िया, पंजीयन क्रमांक 1579, दिनांक 13 जुलाई, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अतः मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कंचन बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पत्थर गुराड़िया, पंजीयन क्रमांक 1579, दिनांक 13 जुलाई, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री के. सी. चौहान, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-Y)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/829.—धर्मेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सतवास, पंजीयन क्रमांक 1580, दिनांक 16 जुलाई, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत

करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए धर्मेश्वर बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सतवास, पंजीयन क्रमांक 1580, दिनांक 16 जुलाई, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एल. गोठवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(422-Z)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/830.—अनंत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छापरी, पंजीयन क्रमांक 1584, दिनांक 22 जुलाई, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अनंत बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, छापरी, पंजीयन क्रमांक 1584, दिनांक 22 जुलाई, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. एल. गोठवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/831.—बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चौबारा जागीर, पंजीयन क्रमांक 1585, दिनांक 22 जुलाई, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बलराम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, चौबारा जागीर, पंजीयन क्रमांक 1585, दिनांक 22 जुलाई, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. शर्मा, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-A)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/832.—सक्षम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रतनखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 1590, दिनांक 01 अगस्त, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सक्षम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, रतनखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 1590, दिनांक 01 अगस्त, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. शर्मा, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-B)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/833.—श्री देवकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आगुर्ली, पंजीयन क्रमांक 1592, दिनांक 03 अगस्त, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री देवकृपा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, आगुर्ली, पंजीयन क्रमांक 1592, दिनांक 03 अगस्त, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. शर्मा, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-C)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/834.—राम स्नेही बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गाड़ागांव, पंजीयन क्रमांक 1598, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-

5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राम स्नेही बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गाड़ागांव, पंजीयन क्रमांक 1598, दिनांक 06 अक्टूबर, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. शर्मा, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-D)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/835.—हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बागली, पंजीयन क्रमांक 756, दिनांक 23 अक्टूबर, 1992 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुतं किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए हरिजन मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, बागली, पंजीयन क्रमांक 756, दिनांक 23 अक्टूबर, 1992 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती अनिता मेहरा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-E)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/836.—जय अम्बे मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, किटी (कोठरा), पंजीयन क्रमांक 1151, दिनांक 08 अगस्त, 2006 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जय अम्बे मत्स्योद्योग सहकारी संस्था मर्यादित, किटी (कोठरा), पंजीयन क्रमांक 1151, दिनांक 08 अगस्त, 2006 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र कुमार आर्य, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-F)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/837.—अजमीठ साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1191, दिनांक 01 दिसम्बर, 2007 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे

केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अजमीठ साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1191, दिनांक 01 दिसम्बर, 2007 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती मंजूलता अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-G)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/838.—स्वायत्त शासन साख सहकारी संस्था मर्यादित, सोनकच्छ, पंजीयन क्रमांक 123, दिनांक 30 सितम्बर, 1965 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए स्वायत्त शासन साख सहकारी संस्था मर्यादित, सोनकच्छ, पंजीयन क्रमांक 123, दिनांक 30 सितम्बर, 1965 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र कुमार आर्य, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-H)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/839.—महाराष्ट्र परस्पर साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 349, दिनांक 27 जून, 1980 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महाराष्ट्र परस्पर साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 349, दिनांक 27 जून, 1980 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमति मंजूलता अग्रवाल, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-I)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/840.—रोशनी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 952, दिनांक 15 जून, 2001 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए रोशनी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 952, दिनांक 15 जून, 2001 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती तरूणा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-J)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/841.—टेकरी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1057, दिनांक 10 अप्रैल, 2003 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए टेकरी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1057, दिनांक 10 अप्रैल, 2003 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती तरूणा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-K)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/842.-देवी अहिल्या प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, सोनकच्छ, पंजीयन क्रमांक 844, दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवी अहिल्या प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, सोनकच्छ, पंजीयन क्रमांक 844, दिनांक 31 दिसम्बर, 1999 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती तरूणा ठाकुर, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-L)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/843.-सवेरा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित,देवास, पंजीयन क्रमांक 1003, दिनांक 23 जनवरी, 2002 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सवेरा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित,देवास, पंजीयन क्रमांक 1003, दिनांक 23 जनवरी, 2002 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री डी. के. आर्य, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-M)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/844.-अन्नपूर्णा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, सोनकच्छ, पंजीयन क्रमांक 1201, दिनांक 6 जून, 2008 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अन्नपूर्णा प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, सोनकच्छ, पंजीयन क्रमांक 1201, दिनांक 6 जून, 2008 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-N)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/845.-श्वेतांबरी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित,देवास, पंजीयन क्रमांक 1118, दिनांक 06 फरवरी, 2006 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब

प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्वेतांबरी प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित,देवास, पंजीयन क्रमांक 1118, दिनांक 06 फरवरी, 2006 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती प्रेरणा जाम्भेकर, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-O)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/846.-देवास केवल ऑपरेटर साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1054, दिनांक 28 मार्च, 2003 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए देवास केवल ऑपरेटर साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 1054, दिनांक 28 मार्च, 2003 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. के. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-P)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/847.-नृसिंह प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, हाटपिपल्या, पंजीयन क्रमांक 707, दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए नृसिंह प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्यादित, हाटपिपल्या, पंजीयन क्रमांक 707, दिनांक 31 दिसम्बर, 1990 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री बी. के. मिश्रा, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-Q)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/848.-अमीषा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित,भड़ापिपल्या, पंजीयन क्रमांक 23, दिनांक 4 फरवरी, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए अमीषा बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित,भड़ापिपल्या, पंजीयन क्रमांक 23, दिनांक 4 फरवरी, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री अनिता मेहरा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-R)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/849.-दयाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, क्षिप्रा, पंजीयन क्रमांक 34, दिनांक 04 फरवरी, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दयाल बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, क्षिप्रा, पंजीयन क्रमांक 34, दिनांक 04 फरवरी, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती कृष्णा पथरोड़, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-S)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/850.-ई.आई.जी. पेठी साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 04, दिनांक 04 फरवरी, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए ई.आई.जी. पेठी साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 04, दिनांक 04 फरवरी, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती कृष्णा पथरोड़, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-T)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/851.-श्री अभिलाषा साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 21, दिनांक 04 फरवरी, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री अभिलाषा साख सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 21, दिनांक 04 फरवरी, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पर्वतसिंह निगवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-U)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/852.-सिद्ध विनायक फल, कृषि, बीज व सब्जी सहकारी संस्था मर्यादित, हाटपिपल्या, पंजीयन क्रमांक 30, दिनांक 04 फरवरी, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए सिद्ध विनायक फल, कृषि, बीज व सब्जी सहकारी संस्था मर्यादित, हाटपिपल्या, पंजीयन क्रमांक 30, दिनांक 04 फरवरी, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती कृष्णा पथरोड़, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-V)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/853.-चामुण्डा फल, कृषि, बीज व सब्जी सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 44, दिनांक 04 फरवरी, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने

के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चामुण्डा फल, कृषि, बीज व सब्जी सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 44, दिनांक 04 फरवरी, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-W)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/854.-मातंगी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 04 फरवरी, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए मातंगी महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्यादित, देवास, पंजीयन क्रमांक 45, दिनांक 04 फरवरी, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री ए. के. तिवारी, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-X)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/855.-दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुम्हारिया राव, पंजीयन क्रमांक 393, दिनांक 15 नवम्बर, 1976 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, कुम्हारिया राव, पंजीयन क्रमांक 393, दिनांक 15 नवम्बर, 1976 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री व्ही. पी. द्विवेदी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-Y)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/856.-दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उपड़ीहार, पंजीयन क्रमांक 1381, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, उपड़ीहार, पंजीयन क्रमांक 1381, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री वी. के. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(423-Z)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/857.-दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, प्रतापगढ़, पंजीयन क्रमांक 1413, दिनांक 11 मार्च, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, प्रतापगढ़, पंजीयन क्रमांक 1413, दिनांक 11 मार्च, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री सी. एम. शर्मा, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(424)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/858.-माँ जय-जय अम्बे माता मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित, फिलोदा बी, पंजीयन क्रमांक 1478, दिनांक 05 सितम्बर, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए माँ जय-जय अम्बे माता मत्स्य सहकारी संस्था मर्यादित,

फिलोदा बी, पंजीयन क्रमांक 1478, दिनांक 05 सितम्बर, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री देवेन्द्र कुमार आर्य, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(424-A)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/859.-महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सेकली, पंजीयन क्रमांक 1490, दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सेकली, पंजीयन क्रमांक 1490, दिनांक 07 अक्टूबर, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(424-B)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/860.-दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुनवानी कराड़, पंजीयन क्रमांक 1523, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, सुनवानी कराड़, पंजीयन क्रमांक 1523, दिनांक 28 अक्टूबर, 2014 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एम. आर. शेख, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(424-C)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/861.-महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पीपलकोटा, पंजीयन क्रमांक 1563, दिनांक 05 जून, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत

करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, पीपलकोटा, पंजीयन क्रमांक 1563, दिनांक 05 जून, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(424-D)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/862.-दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गोरबा, पंजीयन क्रमांक 1569, दिनांक 22 जून, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, गोरबा, पंजीयन क्रमांक 1569, दिनांक 22 जून, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री पी. के. जैन, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(424-E)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/863.-दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवधर राजपुरा, पंजीयन क्रमांक 1570, दिनांक 22 जून, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को "कारण बताओ सूचना-पत्र" दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, देवधर राजपुरा, पंजीयन क्रमांक 1570, दिनांक 22 जून, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री एच. आर. मालवीय, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(424-F)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/864.-दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लोहार्दा, पंजीयन क्रमांक 1572, दिनांक 23 जून, 2015 (जिसे आगे केवल

संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, लोहार्दा, पंजीयन क्रमांक 1572, दिनांक 23 जून, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(424-G)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/865.-दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिजवाड़, पंजीयन क्रमांक 1573, दिनांक 23 जून, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्यादित, बिजवाड़, पंजीयन क्रमांक 1573, दिनांक 23 जून, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्री महेन्द्र तिवारी, पर्यवेक्षक, इन्दौर दुग्ध संघ को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

(424-H)

देवास, दिनांक 30 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-69 (2)(सी/ग) के अंतर्गत]

क्र./परि./16/866.-शिवशक्ति बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलानी, पंजीयन क्रमांक 1577, दिनांक 01 जुलाई, 2015 (जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है) द्वारा समयावधि में संचालक मंडल के निर्वाचन न कराये जाने से मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 (जिसे आगे केवल अधिनियम कहा गया है) की धारा-69 (3) के अंतर्गत संस्था को ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' दिया गया, जाकर जवाब प्रस्तुत करने के लिये एक माह का समय दिया गया था. उक्त कालावधि के व्यतीत होने के पश्चात् भी संस्था के संचालक मण्डल के निर्वाचन कराये जाने के लिये न तो कोई आवेदन प्राप्त हुआ है और न ही संस्था के किसी सदस्य द्वारा कारण बताओ सूचना-पत्र का जवाब प्रस्तुत किया गया है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था के सदस्यों द्वारा अधिनियम का पालन करना बंद कर दिया गया है. जिससे संस्था को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक हो गया है.

अत: मैं डॉ. के. एन. त्रिपाठी, उप-आयुक्त, सहकारिता, जिला देवास, मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए शिवशक्ति बीज उत्पा. सहकारी संस्था मर्यादित, पिपलानी, पंजीयन क्रमांक 1577, दिनांक 01 जुलाई, 2015 को अधिनियम की धारा-69 (2) (सी/ग) के अन्तर्गत परिसमापन में लाता हूं एवं अधिनियम की धारा-70 (1) के अन्तर्गत श्रीमती अनिता मेहरा, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त करता हूं.

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा.

के. एन. त्रिपाठी,
उप-पंजीयक.

(424-I)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिहोर

सिहोर, दिनांक 22 अप्रैल, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य गण,

दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,

घुटवानी, जिला सिहोर.

द्वारा:- संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष.

क्र./परि./2016/396.—कार्यालयीन निर्वाचन कक्ष द्वारा दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को अवगत कराया गया है कि दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घुटवानी, पंजीयन क्रमांक 1796, दिनांक 20 सितम्बर, 2014 का मध्यप्रदेश राज्य सहकारी निर्वाचन प्राधिकारी के आदेश क्रमांक/सह. निर्वा. प्रा./निर्वाचन-3/2016/1379, भोपाल, दिनांक 05 फरवरी, 2016 द्वारा श्री आर. सी. रैकवाल, सहकारी निरीक्षक को रजिस्ट्रीकरण अधिकारी नियुक्त किया गया था.

श्री रैकवाल ने अपने पत्र दिनांक 17 मार्च, 2016 द्वारा अवगत कराया कि संस्था निर्वाचन कराने हेतु अध्यक्ष/सचिव से सम्पर्क करने पर उनके द्वारा अवगत कराया गया कि संस्था सदस्यों द्वारा संस्था में दुग्ध नहीं दिया जा रहा है, संस्था के सभी सदस्यों द्वारा संस्था में कोई रूचि नहीं ली जा रही है. अत: संस्था का निर्वाचन कराया जाना सम्भव नहीं है.

अत: मैं, अशोक कुमार शुक्ला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिहोर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्या., घुटवानी पंजीयन क्रमांक 1796, दिनांक 20 सितम्बर, 2014 को परिसमापन में लाने से पूर्व इस ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की दिनांक से 30 दिवस के अंदर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुए क्यों न अधिनियम, की धारा-69 (2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 22 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(419)

सिहोर, दिनांक 05 अप्रैल, 2016

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अन्तर्गत]

प्रति,

समस्त सदस्य गण,

(अधोलिखित संस्थाएं)

द्वारा:- संस्था के कार्यवाहक अध्यक्ष.

क्र./परि./2016/375.—विधि कक्ष द्वारा दिनांक 04 अप्रैल, 2016 को अवगत कराया गया है, कि जिले की निम्न सहकारी संस्थाओं में नियुक्त प्रशासकों द्वारा अपने प्रतिवेदन में संस्था के अकार्यशील होने/निर्वाचन हेतु वांछित रिकार्ड उपलब्ध न कराने/संस्था का चार्ज न सौपने का उल्लेख किया गया है जो कि मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों का उल्लंघन है. इससे यह स्पष्ट है कि संस्था अपनी पंजीकृत उपविधि एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 के प्रावधानों के अनुरूप कार्य करने में विफल रही है.

ऐसी संस्थाओं की सूची निम्नानुसार है:-

क्र.	संस्था का नाम	पंजीयन क्रमांक व दिनांक
1.	दुग्ध उत्पा. सहकारी संस्था मर्या., सीलकंठ	1728/06-11-2013
2.	डेयरी फूड प्रोडक्ट उत्पा. एवं विपणन सहकारी समिति मर्या., सीहोर	1694/16-01-2013

अत: मैं, अशोक कुमार शुक्ला, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला सिहोर मध्यप्रदेश शासन सहकारिता बिभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 से प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त संस्थाओं को परिसमापन में लाने से पूर्व इस ''कारण बताओ सूचना-पत्र'' के माध्यम से संस्था के समस्त सदस्यों को यह अवसर प्रदान करता हूँ कि इस सूचना-पत्र के जारी होने की

दिनांक से 30 दिवस के अंदर मुझे यह स्पष्ट करें कि उपरोक्त कारणों के रहते हुए क्यों न अधिनियम, की धारा-69 (2) के अंतर्गत संस्था को परिसमापन में लाया जाकर पंजीयन निरस्ती की कार्यवाही की जावे.

यह कारण बताओ सूचना-पत्र आज दिनांक 05 अप्रैल, 2015 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

अशोक कुमार शुक्ला,
उप-पंजीयक.

(419-A)

कार्यालय परिसमापक प्रक्षिणालय सहकारी समिति मर्या., जिला आगर

आगर-मालवा, दिनांक 22 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.2016/Q1.—सहकारी प्रशिक्षणालय सहकारी समिति मर्या., आगर तह. एवं जिला आगर जिसका पंजीयन क्रमांक 275, दिनांक 07 जनवरी, 1956 है को उप-पंजीयक सहकारी संस्थाएं, जिला आगर-मालवा के आदेश क्र./परि./2016/551, आगर-मालवा, दिनांक 15 मार्च, 2016 के द्वारा मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है.

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे वंचित होने के दायित्वधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था को लेखा पुस्तक में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये है समझे जावेंगे.

आज दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

गोपाल माहेश्वरी,
परिसमापक एवं उप-अंकेक्षक.

(420)

कार्यालय परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक, जिला आगर-मालवा

आगर-मालवा, दिनांक 22 अप्रैल, 2016

[मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं नियम-1962 के नियम-57 (ग) के अन्तर्गत]

क्र.2016/Q1.—मध्यप्रदेश सहकारी संस्था अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत निम्न सहकारी संस्थाओं को परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 (1) के अन्तर्गत मुझे परिसमापक नियुक्त किया गया है:-

क्रमांक	नाम संस्था	पंजीयन क्रमांक व दिनांक	संशोधित आदेश क्रमांकव दिनांक
1	2	3	4
1.	माँ गायत्री प्राथमिक उपभोक्ता सहकारी भण्डार मर्या., बडोद	944/31-07-2006	186/22-09-2015
2.	दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., पिपलोन खुर्द	381/05-09-1986	186/22-09-2015
3.	बैंक से वेतन पाने वाले कर्मचारियों की साख सहकारी संस्था मर्या., सुसनेर	4937/19-12-1943	550/15-03-2016

अत: मध्यप्रदेश सहकारी संस्थाएं, अधिनियम, 1962 के अन्तर्गत नियम-57 (ग) के अन्तर्गत उक्त संस्था के समस्त दावेदारों को एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि वे संस्था के विरुद्ध अपने समस्त दावों को इस सूचना-पत्र के प्रकाशन के दिनांक से 2 माह के अन्दर मय प्रमाण के यदि हो तो मुझे लिखित रूप से प्रस्तुत करें. त्रुटि की दशा में साहूकारगण किसी भी लाभ के बंटवारे वंचित होने के दायित्वधीन होंगे. यदि दो माह की अवधि में किसी दावेदार ने कोई दावा प्रस्तुत नहीं किया तो बाद में उसका दावा (क्लेम) मान्य नहीं किया जावेगा. संस्था को लेखा पुस्तक में लेखाबद्ध समस्त दायित्व स्वयमेव मुझे विधिवत प्रस्तुत किये गये है समझे जावेंगे.

आज दिनांक 22 अप्रैल, 2016 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालय की मुद्रा से जारी की गई.

सुरेन्द्र जैन,
परिसमापक एवं सहकारिता निरीक्षक.

(420-A)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 23] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 3 जून 2016-ज्येष्ठ 13, शके 1938

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 02 मार्च, 2016

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह मौसम शुष्क रहा है तथा राज्य के अनूपपुर, अलीराजपुर, होशंगाबाद, मण्डला, छिन्दवाड़ा, उमरिया जिले को छोड़कर किसी भी जिले में वर्षा का होना नहीं पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील अनूपपुर, जैतहरी, पुष्पराजगढ़ (अनूपपुर), मानपुर (उमरिया), अलीराजपुर (अलीराजपुर), पिपरिया (होशंगाबाद), विछिया, नैनपुर, नारायणगंज (मण्डला), छिन्दवाड़ा, जुन्नारदेव, परासिया, सोंसर, पांढुर्ना, अमरवाड़ा, चौरई, बिछुआ, चांद, हर्रई, मोहखेड़ा (छिन्दवाड़ा) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील वनखेड़ी (होशंगाबाद) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**— जिला ग्वालियर, दमोह व बड़वानी में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला ग्वालियर, दमोह में बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल स्थिति.**—

5. **कटाई.**—जिला मुरैना में फसल सरसों व बुरहानपुर में चना, हरदा में गेहूँ, सिवनी में तुअर, धार में गेहूँ, चना व पन्ना व बालाघाट में रबी फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, दतिया, टीकमगढ़, पन्ना, सागर, दमोह, सतना, रीवा, अनूपपुर, उमरिया, सिंगरौली, नीमच, झाबुआ, बड़वानी, बुरहानपुर, सीहोर, डिण्डोरी व सिवनी में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 02 मार्च, 2016

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. सरसों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. श्योपुर	. .		4. (1) तुअर, गन्ना, गेहूँ, जौ, चना, राई- सरसों अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयपुर	. .				
जिला भिण्ड :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. अटेर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई- सरसों समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. भिण्ड	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. डबरा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भितरवार	. .				
4. घाटीगांव	. .				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मटर, जौ, मसूर, सरसों, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भाण्डेर	. .				
जिला शिवपुरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पिछोर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. अशोकनगर	. .				
4. चन्देरी	. .				
5. शाढौरा	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, सरसों, धनिया, मसूर	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. राघोगढ़	. .		समान.	चारा पर्याप्त.	
3. बमोरी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. आरोन	. .				
5. चाचौड़ा	. .				
6. कुम्भराज	. .				
जिला टीकमगढ़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, राई-	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	. .		सरसों समान.	चारा पर्याप्त.	
3. जतारा	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
4. टीकमगढ़	. .				
5. बल्देवगढ़	. .				
6. पलेरा	. .				
7. ओरछा	. .				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. . .	7. पर्याप्त.
1. लव-कुश नगर	. .		4. (1) तिल-अधिक. तुअर कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	. .				
4. छतरपुर	. .				
5. राजनगर	. .				
6. बिजावर	. .				
7. बड़ामलहरा	. .				
8. बकस्वाहा	. .				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	. .	का कार्य चालू है.	4. (1) गेहूँ, तिल, चना, जौ, राई-सरसों,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	. .		अलसी, मसूर, मटर, आलू, प्याज.	चारा पर्याप्त.	
3. गुन्नौर	. .		(2) . .		
4. पवई	. .				
5. शाहनगर	. .				
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	. .		4. (1) गेहूँ, चना, जौ, मटर, मसूर, तेवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खुरई	. .		राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज.	चारा पर्याप्त.	
3. बण्डा	. .		(2) . .		
4. सागर	. .				
5. रेहली	. .				
6. देवरी	. .				
7. गढ़ाकोटा	. .				
8. राहतगढ़	. .				
9. केसली	. .				
10. मालथोन	. .				
11. शाहगढ़	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) अरहर, गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) चना, जौ, राई-सरसों अधिक. गेहूँ कम. मसूर, अलसी, अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) . .		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हुजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7. रायपुरकर्चुलियान	. .				
***जिला शहडोल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सोहागपुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ब्यौहारी	. .		(2) . .		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	12.8		4. (1) चना अधिक. राहर, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	0.4		(2) . .		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	9.7				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) तुअर अधिक. राई-सरसों, अलसी, चना, गेहूँ, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) . .		
3. मानपुर	0.33				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1)चना, अलसी, राई-सरसों, गेहूँ मसूर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. चितरंगी	. .		4. (1) मसूर, चना, राई-सरसों, गेहूँ अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) . .		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, अधिक. राई-सरसों कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) . .		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	. .				
5. मन्दसौर	. .				
6. श्यामगढ़	. .				
7. सीतामऊ	. .				
8. धुन्धड़का	. .				
9. संजीत	. .				
10.कयामपुर	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) राई-सरसों, मसूर, मटर अधिक. गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
जिला उज्जैन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. खाचरौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. महिदपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला आगर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बड़ौद	. .		4. (1) गेहूँ, चना .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सुसनेर	. .		(2) . .		
3. नलखेड़ा	. .				
4. आगर	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मसूर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) चना अधिक. गेहूँ समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ ,चना, मक्का समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मूंगमोठ.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	4.6		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. कट्टीवाड़ा	. .				
4. सोण्डवा	. .				
5. च. शे. आ. नगर	. .				
6. भामरा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. गेहूँ, चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक. कपास कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .			चारा पर्याप्त.	
3. धार	. .		(2) . .		
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला खरगौन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) मक्का, बाजरा, कपास, मूंगफली, अलसी, राई-सरसों, अधिक. ज्वार, धान, तुअर, गेहूँ, चना कम.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. महेश्वर	. .			चारा पर्याप्त.	
3. सेगांव	. .		(2) . .		
4. खरगौन	. .				
5. गोगावां	. .				
6. कसरावद	. .				
7. भगवानपुरा	. .				
8. भीकनगांव	. .				
9. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला बड़वानी :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वानी	..		4. (1) गन्ना अधिक, गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद,	8. ..
2. ठीकरी	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजकोट	..				
4. सेंधवा	..				
5. पानसेमल	..				
6. पाटी	..				
7. निवाली	..				
***जिला खण्डवा :**	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. खण्डवा	..		4. (1) ..	6. ..	8. ..
2. पंधाना	..		(2) ..		
3. हरसूद	..				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. रबी फसल चना की कटाई का कार्य चालू है.	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	..		4. (1) कपास, मूँगफली सुधरी हुई.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	..		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	..				
जिला राजगढ़ :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. ..	7. ..
1. जीरापुर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खिलचीपुर	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. राजगढ़	..				
4. ब्यावरा	..				
5. सारंगपुर	..				
6. पचोर	..				
7. नरसिंहगढ़	..				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	..				
4. बासौदा	..				
5. नटेरन	..				
6. विदिशा	..				
7. गुलाबगंज	..				
8. ग्यारसपुर	..				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	..		4. (1) गेहूँ, चना, मूसर, मटर, तेवड़ा,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	..		तुअर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
			(2) ..		
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. ..	3. ..	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोर	..		4. (1) ..	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	..		(2) ..	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	..				
4. नसरुल्लागंज	..				
5. बुधनी	..				

1	2	3	4	5	6
***जिला रायसेन**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. रायसेन	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. गैरतगंज	. .		(2) . .		
3. बेगमगंज	. .				
4. गौहरगंज	. .				
5. बरेली	. .				
6. सिलवानी	. .				
7. बाड़ी	. .				
8. उदयपुरा	. .				
***जिला बैतूल :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. भैंसदेही	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. घोड़ाडोंगरी	. .		(2) . .		
3. शाहपुर	. .				
4. चिचोली	. .				
5. बैतूल	. .				
6. मुलताई	. .				
7. आठनेर	. .				
8. आमला	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) गेहूँ, मटर, मसूर अधिक. चना कम. तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) . .		
3. बावई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	7.0				
7. बनखेड़ी	18.0				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. गेहूँ की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोरा	. .		4. (1) मटर अधिक. गेहूँ, चना, मसूर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	. .		(2) . .		
3. जबलपुर	. .				
4. मझौली	. .				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, गेहूँ, मसूर, मटर जौ.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	. .		(2) . .		
3. विजयराघौगढ़	. .				
4. बहोरीबंद	. .				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) सोयाबीन, धान, गन्ना, मूंग, चना, मटर, मसूर अधिक. तुअर कम. उड़द समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		(2) . .		
3. नरसिंहपुर	. .				
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) चना, गेहूँ, मटर, मसूर, लाख, राई-सरसों, अलसी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	5.2		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. नैनपुर	1.4				
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	4.6				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. . .
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) अलसी, गेहूँ, चना, मसूर, मटर, लाख समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बजाग	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
2. शाहपुरा	. .				
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	1.2		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	3.8		(2) . .		
3. परासिया	1.4				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	15.8				
6. पांढुर्णा	7.3				
7. अमरवाड़ा	17.2				
8. चौरई	9.6				
9. बिछुआ	5.0				
10. चांद	13.3				
11. हर्रई	4.0				
12. बोलखेड़ा	12.2				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, राजगिर, चना, मटर, मसूर, लाख, तिवड़ा, उड़द, मूंग, अरण्डी,राई-सरसों, अलसी, कुसुम, सूरजमुखी.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		(2) . .		
3. लखनादौन	. .				
4. बरघाट	. .				
5. उरई	. .				
6. घंसौर	. .				
7. घनोरा	. .				
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. रबी फसलों की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला शहडोल, खण्डवा, रायसेन, बैतूल से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(401)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2016.